कुरुक्षेत्र

संपादकीय

ग्रामोन्मुख शिक्षा नीति की जरूरत

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जहां एक ओर हमारे कर्णधारों ने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दिशा में प्रयास आरम्भ किए वहां दूसरी ओर शिक्षा की दृष्टि से भी देश को सुमन्नत करने का बीड़ा उठाया। स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों का चारों ओर जाल बिछा दिया गया। करोड़ों तथा अरबों की धन राशि शिक्षा पर खर्च की गई और की जा रही है परन्तु जब हम विवेक दृष्टि से अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि देश में शिक्षा का प्रसार-प्रचार तो बढ़ा परन्तु फील पांव की तरह बढ़ा। इससे जनता में, खास कर युवा वर्ग में असंतोष और बेचैनी का ज्वार उठ खड़ा हुआ। शिक्षित बेरोजगारी की बाढ़ आ गई। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वावलम्बी बना कर रुढ़ियों तथा मानसिक दासता से मुक्ति दिलाना है। साथ ही उसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना तथा नैतिक, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दृष्टि से उसे ऊपर उठाना है परन्तु आज का शिक्षित युवक परमुखापेक्षी, पुरषार्थहीन और नौकरियों की छीना-झपटी की होड़ में लगा रहता है।

हमारी शिक्षा प्रणाली का ढांचा आज भी वही है जो अंग्रेजीराज में था और जिसे 150 वर्ष पूर्व मैकाले ने अंग्रेजीराज के लिए क्लर्क ढालने के लिए बनाया था। खेद है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आज भी उसी लकीर को पीटते चले आ रहे हैं।

आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन दशकों से अधिक समय के बाद भी हमारी सभी भाषाओं पर अंग्रेजी का प्रमुत्व कायम. है। पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई में अंग्रेजी को ही प्रधानता दी जाती है और शुरू से ही बच्चों को अंग्रेजी चाल-चलन, रहन-सहन, खान-पान आदि में दीक्षित किया जाता है। इस शिक्षा से बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं उनसे वे अपने को दूसरों से अलग और उच्च समझने लगते हैं। परिणाम यह हुआ है कि निहित स्वार्थ वाला एक वर्ग पैदा हो गया है जो अपनी विशेष स्थिति बनाए रखना चाहता है। पब्लिक स्कूलों की शिक्षा से न तो बच्चों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा होती है और नाही अपनी सभ्यता, संस्कृति और शीलता से लगाव ही रहता है। फिर इन स्कूलों को बनाए रखना राष्ट्रहित की दृष्टि से कहां तक न्यायसंगत है। वास्तव में यदि हमें सही मायनों में अपने राष्ट्र को शिक्षित बनाना है तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का रूप अपने देश की आवश्यकताओं तथा समतामूलक समाज की रचना को ध्यान में रखकर बनाना होगा।

जहां तक ग्रामीण शिक्षा का सम्बन्ध है, स्थिति बड़ी दयनीय है। पहले तो अधिकांश ग्रामीण अपने बच्चों को पाठशालाओं में भेजने से वैसे ही कतराते हैं और जो भेजते भी हैं, उन्हें वहां ठीक-ठाक शिक्षा नहीं मिलती। यह निर्विवाद है कि व्यक्ति के जीवन-निर्माण में प्राथमिक शिक्षा आधारशिला का काम करती है। उस समय जैसे संस्कार बच्चे के दिमाग पर पड़ेंगे वह वैसा ही बनेगा। प्रायः देखने में आता है कि गांवों की प्राथमिक शालाओं का वातावरण बच्चों को देश के सभ्य-शिष्ट भावी-नागरिक बनाने के अनुकूल नहीं होता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गांवों में जहां चोरी-जारी, शराबखोरी-मारपीट, गाली, गलोच आदि बुराइयों का जोर बढ़ा है, वहां बच्चों पर भी इस दूषित वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जब बच्चा प्राथमिक शाला में प्रवेश पाता है तो यह आशा की जाती है कि विद्यारम्भ के साथ उसके जीवन में सद्भावना की ओर एक नया मोड़ आएगा परन्तु जब अध्यापकगण ही मद्यपान आदि बुराइयों के शिकार हों तो बच्चों में अच्छे सद्भाव कैसे भरे जा सकते हैं। जहां बच्चों को उठना-बैठना, बोलना-चालना, लिखना-पढ़ना सिखाया जाना चाहिए, वहां वे गाली-गलोच, लड़ाई-झगड़ा आदि बुराइयां ही सीखते हैं। सफाई-स्वच्छता की तो बात ही क्या, शालाओं की टूटी-फूटी इमारतों के प्रांगणों में कूड़े-कचरे और टट्टी-पाखानों के ढेर, नालियों में भरी कीचड़ और उन पर भिन भिनाते मक्खी, मच्छर तथा पढ़ने के कमरों में भरी बदबू का बच्चे के दिल-दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है, यह जान लेना कोई कठिन बात नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए मेज-कुर्सियों या पक्के फर्श की व्यवस्था तो दूर, टाट की पट्टियों तक की व्यवस्था नहीं होती। कूड़े-कच्चरे में बैठकर ही वे अपनी तख्ती काली करते रहते हैं।

अतः जरूरत है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए जाएं। गांवों के बच्चे देश की सम्पदा हैं। उन्हें शिक्षित तथा सभ्य शिष्ट नागरिक बनाना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए जरूरी है कि गांवों में शिक्षा का नया कार्यक्रम शुरू किया जाए। पाठ्यक्रम में नैतिक तथा कारीगरी की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। कारीगरी की शिक्षा का अर्थ होगा गांवों में उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान। असली भारत गांवों में बसता है और गांवों का विकास ही देश का सच्चा विकास है। अतः समय की मांग है कि हमारे कर्णधार ग्रामीण शिक्षा पर अधिक ध्यान दें और शिक्षा बजट का अधिकांश ग्रामीण शिक्षा पर खर्च किया जाए। दूसरे गांवों में सुशिक्षा का प्रसार होगा तो उससे न सिर्फ आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं ही सुलझेंगी, बल्कि हमारे लोकतन्त्र की जड़ें भी मजबूत होंगी। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 27 कार्तिक–अग्रहायण 1903 अंक 1

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

युगान्तरकारी व्यक्तित्व के धनी पंडित जवाहरलाल नेहरू 2
दिनेश सिंह

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में विकास खण्ड कार्मिकों की भूमिका 4
भुवन लाल शाह

देश की माटी में स्वावलम्बन का सौरभ 8

बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं 10

परिवार नियोजन : एक राष्ट्रीय आवश्यकता 11
डा० अशोक कुमार सिंहल

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बढ़ते कदम 13
सतीश कुमार जैन

हरिजन बस्तियों में नए जीवन की सरगम 16
प्रेम द्विवेदी

ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की आवश्यकता 19
राकेश कुमार अग्रवाल

बढ़ती जनसंख्या : क्या हम लक्ष्य को पा सकेंगे 20
चुन्नी लाल सलूजा

राष्ट्रीय कौटुम्बिक भावना की पोषक भाषा 22
विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त बन्धु'

कृषि विकास में बिजली का महत्व 24

स्थायी स्तम्भ

कविता : साहित्य समीक्षा : पहला सुख निरोगी काया : केन्द्र के समाचार आदि।

युगान्तरकारी व्यक्तित्व के धनी

पंडित जवाहरलाल नेहरू

दिनेश सिंह

पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि जनराज्य को चलाने के लिए मजबूत गणतांत्रिक संस्थाओं का होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने इन संस्थाओं को बनाने और बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश की और साथ ही साथ हमारे देश में इस प्रकार की जो संस्थाएं पहले से बनी हुई थीं और चल रही थीं, उन्हें भी पूरी मान्यता दी।

जब मैं उनके साथ विदेश मंत्रालय में उपमंत्री पद पर काम कर रहा था तो मुझे उस समय की याद है कि पंडित जी सुबह ठीक नौ बजे दफ्तर आते और मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक करते थे और मैं भी उस बैठक में उपस्थित रहता था। वहां पर सामने आए अहम् मसलों पर चर्चा होती थी और फैसले भी ले लिए जाते थे। एक बार की बात है कि मुझे कहीं विदेश यात्रा पर जाना था। सुबह की रोजाना होने वाली बैठक में उस पर चर्चा हुई और मेरी विदेश यात्रा तय कर दी गई। तीसरे-चौथे दिन जब उसकी कहीं और चर्चा आई और मैंने विदेश जाने का जिक्र किया तो पंडित जी ने टोका और कहा तुमने तो अभी तक जाब्ते से इजाजत नहीं ली है। उनका सीधा मतलब था कि मौखिक रूप से स्वीकृति तो हो गई, लेकिन सरकारी कामकाज का जो तरीका बना हुआ है उसके अनुसार लिखित नोट पर नियमानुसार मंज़ूरी प्राप्त करनी चाहिए तभी सरकार का फैसला उसे माना जा सकता है।

यह एक बहुत ही मामूली घटना थी लेकिन छोटी-छोटी घटनाओं से संबंधित निर्णयों से ही बड़ी संस्थाएं बनती हैं और सुरक्षित रहती हैं।

इसका एक और रूप देखिए। पंडित जी ने ए०आई०सी०सी० के मातहत एक इंडियन काउंसिल फार अफ्रीका बनाई थी। श्री बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। यह संस्था इसलिए बनाई गई थी कि भारत की जनता का सहयोग अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को प्राप्त हो सके। पंडित जी नहीं चाहते थे कि भारत सरकार का इसमें हाथ हो। भारत सरकार जाब्ते से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए उन्हें राजनैतिक सहयोग दे और जन संस्था वहीं की जनता को सीधे मदद करे। यह सिद्धांत की बात थी और पंडित जी सिद्धांतों को पूरी मान्यता देते थे।

इससे संबंधित एक और संस्मरण सुनिए। हम लोग साउथ अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध एक मीटिंग करना चाह रहे थे पर इसमें कुछ कठिनाई आ रही थी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का पूरा सहयोग हमें नहीं मिल रहा था। तो हम लोग पंडित जी के पास गए। पंडित जी चाहते तो खुद ही इसका फैसला कर सकते थे और आदेश दे सकते थे। किन्तु उन्होंने स्वयं फैसला करने के बजाए कांग्रेस प्रेजीडेंट को टेलीफोन किया और उन्हें बताया कि इंडियन काउंसिल फार अफ्रीका की मीटिंग की क्या अहमियत है। और उनसे अनुरोध किया कि अगर वे मुनासिब समझें तो हम लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता करें। पंडित जी ने कहा कि अध्यक्ष जी को आमंत्रित करने के लिए वे हम लोगों को उनके पास भेज रहे हैं। संस्थाओं की मान्यता और महत्व का यह सुन्दर उदाहरण तो है ही, साथ ही साथ यह उनकी सरलता और नम्रता का भी उदाहरण है। जिसे भी पंडित जी अधिकार देते थे, उसे उस अधिकार के इस्तेमाल का पूरा अवसर भी देते थे, उसका समर्थन भी करते थे। उसका आत्मविश्वास बढ़ाते थे और उसकी पूरी मदद भी करते थे।

मुझे याद है कि संसद में जब हम सवालों का जवाब देते थे और हमारे पूरक यानि सप्लीमेंटरी जवाबों में कुछ कहने को रह जाता था तो पंडित जी आहिस्ते-आहिस्ते हमें प्रोम्प्ट करते थे और अगर फिर भी हम नहीं समझ पाते और बैठ जाते तो वह स्वयं उठ कर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कहते थे कि उनके साथी ने जो कुछ कहा है उसमें वे कुछ और जोड़ना चाहते हैं और अपनी बात कह देते थे। वे अपने साथी का उत्साह कम नहीं होने देते थे। संसद को पंडित जी अत्यधिक महत्व देते थे और लम्बे समय तक संसद की कार्रवाई में भाग लेते थे। कभी-कभी हम लोगों को लगता था कि सदन में साधारण मसलों पर विचार हो रहा है और पंडित जी से सीधे संबंधित मसलों पर चर्चा भी नहीं हो रही है लेकिन तब भी पंडित जी सदन में क्यों बैठे हुए हैं। हम उनसे कहते भी तो वे कहते थे कि अगर वे संसद का आदर नहीं करेंगे, तो दूसरे और भी कम करेंगे। इसलिए कभी-कभी आवश्यकता न होने पर भी वे सदन में बैठे रहते थे और ध्यानपूर्वक देखते थे कि संसद में क्या चल रहा है, कौन क्या

कह रहा है। आप यदि संसद की उस समय की कार्रवाई पढ़ें, तो इसका पूरा परिचय तथा पंडित जी की संस्थाओं के प्रति मान्यता का उनके भाषणों में हाल मिलेगा। पंडित जी हमेशा अपने साथियों के सलाह मशविरा से काम करते थे, भले ही बाद में उन्हीं की बात सब मानते। पर वे सबको अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते थे और उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे। मंत्रालय की सुबह अधिकारियों की बैठक हो या पार्टी की बैठक हो या कैबिनेट की मीटिंग हो, सब में इसका पूरा परिचय मिलता था। पंडित जी हमेशा हर मामले पर सबकी राय पूछते थे आज हमारी प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पिता जी के अनुरूप अपने सभी साथियों की राय उसी प्रकार लेती हैं और उनकी बातें सुनती हैं और उस पर विचार करती हैं। यही कारण है कि आज वह सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यही जनराज्य को मजबूत करने का तरीका है।

पंडित जी के व्यक्तित्व का एक और पहलू देखिए। हमारे देश में पैर छू कर बड़ों को नमस्कार करने की प्रथा है। हमारे कुछ नेतागण पैर छुआने पर प्रसन्न भी होते हैं। पर पंडित जी को यह प्रथा बहुत भद्दी लगती थी। जब लोग पंडित जी के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो पंडित जी उन्हें जोर से डांट देते थे और कहते थे कि तुम मनुष्य हो, हाथ मिलाओ, सलाम करो, पैर कोई छूने की चीज है। मैं कोई बुत हूं मेरे पैर छूने जा रहे हो। यह पंडित जी की सरलता और समभाव का परिचायक है। वे हर मनुष्य को बराबरी देते थे। साथ-साथ वे चाहते थे कि देशवासियों में आत्मविश्वास बढ़े। नेता तो वे थे ही, भगवान नहीं बनना चाहते थे। जब कोई उनके घर उनसे मिलने आता था तो मिलने के बाद उसे दरवाजे तक पहुंचाते थे। अगर उनके यहां कोई भोजन, चाय और नाश्ते की पार्टी होती थी तो वे मेहमानों को छोड़ने नीचे दरवाजे तक आया करते थे। यह उनका अपना तरीका था जो मेहमानों को अत्यधिक प्रभावित करता था।

अब एक व्यक्तिगत पहलू देखिए पंडित जी के स्नेह का। जब विदेश मंत्रालय पर संसद में बहस होती थी तो पंडित जी पूरे समय तक कक्ष में बैठते थे लोकसभा में अक्सर खाने का समय काट दिया जाता था और बठक चलती रहती थी। मेरे उपमंत्री बनने के बाद पहली बहस का किस्सा है। खाने का जब समय आया तो पंडित जी ने मुझ से पूछा कि तुम ने खाना खा लिया है या खाने जाओगे। मैंने कहा बाद में खा लूंगा। आप पहले खा लीजिए। पंडित जी चले गए। 15 मिनट बाद लौटे, तो बोले, मैंने खा लिया है। तुम्हारे लिए कुछ रख दिया है। थोड़ा सा ही है, पर मेरे कमरे में जाकर खा लो। खाना तो वास्तव में थोड़ा सा था, पर मेरा पेट तो पहले ही स्नेह से भर गया था।

एक बहु व्यक्तित्व वाले महापुरुष के बहुत रूप होते हैं। बहुत से संस्मरण भी। वे सब एक साथ कहे भी नहीं जा सकते और इतना समय भी नहीं है। मैंने पंडित जी के महान जीवन की एक हल्की सी झलक आपको दिखाई है, जिससे आप जान सकें कि इस प्राचीन देश को आधुनिक बनाने में, इसमें जनराज्य की प्रणाली स्थापित करने में, नेताओं के व्यवहार में नम्रता और सरलता रखने में पंडित जी का अपने ढंग का कितना बड़ा और अनोखा योगदान है। ✻

उसको न्याय दो

✻ जगदीश कश्यप

सत्य की लड़की आत्मा और मन के लड़के झूठ के बीच शादी पक्की हो गई। सत्य एक पुश्तैनी अमीर बाप था। उसने दिल खोलकर दहेज में परिश्रम बैंक चैक मन को दिया कि वह उसमें जितना चाहे रकम भर ले। यही नहीं उसने लाखों रुपये से मूल्यवान प्रतिष्ठा नामक कोठी भी दान में दे दी जिसमें दुनिया भर की सारी सुविधायें उपलब्ध थीं। उसने सब कुछ दे दिया और खुद एक किराए के मकान में रहने लगा।

आत्मा की सास कुण्ठा हरदम उसे सताती और दहेज कम लाने के कारण उसे रोज-रोज लानत मलामत भेजती। आत्मा का पति झूठ एक फैक्टरी में मजदूर नेता था जो मिल मालिक और मजदूर में भ्रम फैलाकर अपना उल्लू सीधा करता रहता था। इसके अतिरिक्त उसे कोई काम न था।

निहायत सुन्दर और पवित्र आत्मा चुपचाप घर का सारा काम करती तथा रात को सास व ससुर के पांव दबाती और दूसरे दिन सुबह सवेरे काम में जुट जाती जबकि उसके पिता द्वारा प्रदत्त कोठी में बहुत सारे नौकर चाकर थे परन्तु वह भारतीय गृहिणी की तरह सब अत्याचार को चुपचाप सहन करती और सदा प्रसन्न रहती।

एक दिन सत्य को खबर मिली कि चाय बनाते समय आत्मा की धोती में आग लग गई थी क्योंकि ज्यादा हवा भरने के कारण स्टोव फट गया था।

सत्य ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि उसकी लड़की को दहेज के भूखे भेड़ियों ने जान बूझकर जलाकर मार डाला है लेकिन पुलिस उस मजदूर नेता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी क्योंकि एक बार फैक्टरी में हड़ताल के दौरान मजदूरों ने तोड़-फोड़ की थी उसी सिलसिले में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, जिस कारण कई पुलिसमैन निलम्बित कर दिए गए थे। उसी झूठ मजदूर नेता के बल पर वे पुलिस वाले पुनः नौकरी पा सके थे।

बेचारा असहाय सत्य आजकल बड़ा दुखी है। अपनी एक मात्र बेटी आत्मा की मौत के गम में पागल बना वह इधर से उधर भटक रहा है। यही कारण है कि आज भी अखबारों में आत्मा जैसी लड़कियों को दहेज कम लाने के कारण जलाकर मार डालने की घटनाएं बार-बार पढ़ने को मिलती रहती हैं। □

डी-32 गली सिटी
डाकघर, गाजियाबाद
201001 (उ० प्र०)

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में विकास खण्ड कार्मिकों की भूमिका

भुवन लाल शाह

"भारत की आत्मा गांवों में बसती है" यह एक वास्तविक सत्य है। परन्तु लम्बे विदेशी साम्राज्य के फलस्वरूप ग्रामीण जनता सदा से उपेक्षित रही है। स्वतन्त्रता संग्राम में गांधी जी ने ग्राम विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया और जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्र के नीति निर्धारणकर्ताओं और प्रशासकों ने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी, परन्तु पिछले तीन दशकों के प्रयासों के फलस्वरूप भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह रहा कि विकास कार्यक्रम बिखरे रूप में रहे और सारी स्थिति को अच्छी तरह नहीं समझा गया। हाल ही में प्रारम्भ किए गए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में गांवों की सामाजिक आर्थिक सुविधाएं मुहैया करने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य विचार विभिन्न विकास कार्यक्रमों—जैसे कि लघु किसान विकास एजेन्सी (S.F.D.A.) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P.) और कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (C.A.D.P.) आदि द्वारा जोकि 3,000 में से 2,000 विकास खण्डों में पहले से ही लागू हैं, इस विकास कार्यक्रम को तीव्र किया जाएगा। साल भी अतिरिक्त खण्ड मध्यावधि योजना के प्रत्येक वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाएंगे इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में 3,500 विकास खण्ड आ जाएंगे।

समन्वित विकास कार्यक्रम केवल ग्राम विकास कार्यक्रम ही नहीं है अपितु एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी विकास कार्यक्रमों को समन्वित किया जाएगा। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि ग्राम विकास के सभी कार्यक्रमों के बीच विद्यमान दूरी को समाप्त किया जाए। इसके लिए संगठनात्मक ढांचे में सुधार लाने के लिए कार्मिक प्रदान किए जाने चाहिए और अन्य उचित और आवश्यक प्रबन्धों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम की सफलता जितनी कार्मिकों पर निर्भर है उतनी ही निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी है। परन्तु हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास कार्यक्रम के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि वे उनका उचित मार्गदर्शन कर सकें। इससे नई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। विकास खण्ड के कार्मिकों की सीमाएं हैं, जब तक ये पदाधिकारी अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं किए जाते और इनमें कार्यक्रम के प्रति दिलचस्पी पैदा नहीं होती तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान खण्ड कार्मिकों के ज्ञान के स्तर और उनकी दिलचस्पी का अध्ययन किया जाए तथा कमियों में सुधार लाने के उपाय खोजे जाएं।

उद्देश्य और विधि-तन्त्र

वर्तमान अध्ययन का लक्ष्य है :—

1. संगठनात्मक ढांचे और खण्ड में नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति के ढांचे का विश्लेषण।
2. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन कार्मिकों के समावेश की सम्भावना का विश्लेषण।
3. विकास खण्ड के प्रशासन की त्रुटियों को दूर करने के उपाय सुझाना।

लेखक द्वारा उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के भीकिया सैन विकास खण्ड को अध्ययन के लिए चुना गया। आंकड़े इकट्ठे करने के उद्देश्य से एक विकास खण्ड अधिकारी (B. D. O.), पांच सहायक विकास अधिकारी (A. D. O.) और दस ग्राम सेवकों (V. L. W.) से साक्षात्कार आयोजित किया गया। विकास खण्ड के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के बारे में स्थानीय किसानों की राय जानने के लिए विकास खण्ड के चुने हुए गांवों के सात गृह प्रमुखों से साक्षात्कार किया गया।

अध्ययन की उपलब्धियां

भीकिया सैन एक विस्तार खण्ड है जिसके अन्तर्गत एक बी० डी० ओ० छः सहायक विकास अधिकारी, एक पशु चिकित्सा सहायक और 24 ग्राम सेवक हैं। बी० डी० ओ० के नेतृत्व में ये सभी मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। स्टाफ का अनुभव भिन्न-2 है। जहां कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस से रिटायर होने वाले हैं। सहायक विकास अधिकारियों में से किसी ने भी अपने विषय में विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। खण्ड में एक भी ग्राम सेविका नहीं थी और न ही समाज-कल्याण, वन इत्यादि के लिए सहायक विकास अधिकारी था।

सभी ग्राम सेवक और सहायक विकास अधिकारी बी० डी० ओ० (खण्ड विकास अधिकारी) के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि सहायक विकास अधिकारियों पर जिला स्तर के उनके अधिकारियों का तकनीकी नियंत्रण रहता है। बी० डी० ओ० जिला योजना अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। बी० डी० ओ० खण्ड विकास समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.) होता है। पंचायत समिति के प्रमुख का बी० डी० ओ० पर अनुशास-

नात्मक नियंत्रण होता है, और उसके द्वारा ही अधीनस्थ कमचारियों पर उसका नियंत्रण होता है। क्योंकि प्रमुख, उसकी वार्षिक गुप्त रिपोर्ट (C.R.) भरता है।

बी० डी० ओ० जहां तक एक ओर अपने उच्च अधिकारियों के कार्यों में समन्वय करता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, शैक्षिक संगठनों और समिति के कार्यों में समन्वय-कर्ता के रूप में कार्य करता है। बी० डी० ओ० सारे कार्यों की रिपोर्ट जिला योजना अधिकारी को समर्पित करता है और जिला योजना अधिकारी इन सबको कलक्टर तक पहुंचाता है।

बी० डी० ओ० ग्राम सभा और खण्ड विकास समितियों की योजना बनाने में सलाहकार की भूमिका निभाता है। वह समिति का बजट भी तैयार करता है। कई प्रकार के मानव साधन आर्थिक साधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मानव साधन विकास कार्य में वृद्धि का कारण ही नहीं है अपितु समाज का निर्माण भी करता है। स्थानीय स्वशासी संस्थानों के लिए लोगों में चेतना और दिलचस्पी जगाता है। इस अध्याय में जो उदाहरण दिया जा रहा है उसमें भीकिया खण्ड के छ: गांवों के गृह प्रमुखों से विकास खण्ड कार्यकर्ताओं के बारे में जो सवाल पूछे गए उनके उत्तर इस प्रकार मिले :—

अधिकतर लोगों ने, 91.66 प्रतिशत बी० डी० ओ० के सम्बन्ध में और 96.66 प्रतिशत ए० डी० ओ० के सम्बन्ध में, कहा कि खण्ड कार्मिक उनसे मिलने नहीं आते। 66.66 प्रतिशत लोगों ने कहा कि न तो उनसे मिलने स्टाफ का कोई आदमी आता है और न ही उन्हें कार्यक्रम सम्बन्धी कोई सूचना वे देते हैं। इस प्रकार वे उनसे संतुष्ट नहीं थे। 75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ग्राम सेवक उनसे मिलते हैं और उन्हें सूचनाएं भी देते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सारे स्टाफ में केवल ग्राम सेवकों का काम ही संतोषजनक है। इसके विपरीत जिन सभी पांच सहायक विकास अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई उन्होंने बताया कि वे लोगों के पास साप्ताहिक दौरा करते हैं। परन्तु यह बात व्यक्तिगत जांच करने पर गलत पाई गई। सम्भवतया उच्च कर्मचारी जनसम्पर्क के लिए ग्राम सेवकों और समिति की बैठकों का अच्छा उपयोग करते हैं।

ज्यादा विश्लेषण करने पर यह भी पाया गया कि ग्राम सेवक पंचायत की बैठकों में जाते हैं और योजनाओं को वास्तविक मूल स्थान पर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि प्राथमिक रूप में उसे कृषि के लिए ही प्रशिक्षित किया जाता है परन्तु उसको शासकीय कार्यों (पौध वितरण, कृषि सूचना, मुर्गीपालन, डाक घर बचत योजना, खाद वितरण आदि) के अतिरिक्त उसके अशासकीय साधारण कार्य जैसे लोगों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारी देना, अंतरिक्ष के बारे में, वैज्ञानिक गतिविधियों, स्वाधीनता व गणतन्त्र दिवस समारोह के विषय में बताना आदि भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल वह अंग्रेज कवि ओलिवर गोल्ड स्मिथ की एक कविता 'विलेज मास्टर' के नायक का प्रतिरूप है। ग्रामीण लोग अपनी घर-बाहर की सारी समस्याओं का हल प्राप्त करने हेतु ग्राम सेवक की सलाह और सहायता लेना चाहते हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या ग्राम सेवक किसानों के पास जाता है ? उन्होंने जवाब दिया, "हां वह समय-समय पर आता रहता है और कहता है कि 'यह करो, वह करो, बीज डालो, खाद डालो,' आदि। परन्तु वह सिर्फ कहना मात्र ही अपना कर्तव्य समझता है। उसका कहना कुछ उपयोगिता नहीं रखता जब तक कृषि में खाद की उपयोगिता का प्रदर्शन न करें।"

साक्षात्कार करने के बाद कुछ ग्राम सेवकों से यह सूचना मिली कि किसान नए प्रयोगों और साधनों को अपनाने के इच्छुक हैं। एक ग्राम सेवक ने साफ तौर पर कहा कि यद्यपि उनके कार्य बहुक्षेत्रीय हैं परन्तु उनकी कार्य क्षमता केवल इस बात से आंकी जाती है कि उसने क्षेत्र में कितनी मात्रा में खाद वितरण किया है। उनकी वार्षिक रिपोर्ट केवल इसी आधार पर बनाई जाती है कि निर्धारित लक्ष्य से कितना कम-ज्यादा खाद उन्होंने वितरित किया है। खाद वितरण का लक्ष्य भी उनसे पूछकर या सलाह लेकर नहीं बनाया जाता। इसलिए वे केवल खाद की बिक्री पर ही ज्यादा जोर देते हैं और अन्य कार्य-कलाप पीछे रह जाते हैं। उसने यह भी कहा कि "अच्छा काम करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता जबकि थोड़ी सी भी ढिलाई के लिए दण्ड मिल जाता है।"

इस प्रकार देखा गया कि ग्राम सेवकों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने तक ही सीमित है और यदि यही हाल रहता है तो समन्वित ग्राम विकास को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि समन्वित ग्राम विकास में तीनों श्रेणियों—उत्पाद वृद्धि के क्रिया-कलाप, उचित ढांचा और कल्याण तथा प्राथमिक सुविधाओं का विकास सम्मिलित है। भीकिया सेन विकास खण्ड के विकास अधिकारी से साक्षात्कार करने पर समन्वित ग्राम विकास से सम्बन्धित तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आया। उसके अनुसार "उच्च शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पीने का साफ पानी, गांवों के मध्य संचार-खासकर बरसात के मौसम में और ग्राम विकास, खण्ड की समस्याएं हैं।" समन्वित ग्राम विकास की उसकी धारणा ग्रामोत्थान से जुड़ी थी जिसमें जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा आदि शामिल हैं उसके अनुसार ग्रामीण लोग ग्राम्य विचार-धारा वाले होते हैं और गरीबी के कारण वे आजादी के पहले के दिनों को बेहतर समझते हैं। उसने आगे कहा कि समन्वित ग्राम विकास तभी कामयाब हो सकता है जब लोगों को सामाजिक तौर पर शिक्षित किया जाए, उन्हें नए वातावरण और नई प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जाए।

विकास अधिकारी से यह पूछे जाने पर कि क्या वे ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने नियमित रूप से जाते हैं ? उन्होंने बताया कि "महीने में 20 दिन उनका कार्यक्रम दौरे का ही होता है। मैं आमतौर पर नियमित रूप से ग्रामीणों से मिलता हूं"। परन्तु बाद में ग्रामीणों से पूछने पर उन्होंने कहा कि वे तो यह भी नहीं जानते कि बी० डी० ओ० (विकास अधिकारी) कौन है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब से बी० डी० ओ० की नियुक्ति हुई है वह कभी भी गाँव में नहीं आया है। हां ग्राम प्रमुख बी० डी० ओ० को अवश्य जानता है क्योंकि वह क्षेत्र समिति की मीटिंगों में जाता रहता है। ग्रामीण एक घाटी में रहते हैं जहां से मोटर-वाहन योग्य सड़क कोई चार कि० मी० दूर है और गांव तक पहुंचना पैदल ही संभव है।

विकास अधिकारी की समस्याएं

विकास अधिकारी की राय यह थी कि आयोजना का कार्य क्षेत्र समिति से ले लिया

जाना चाहिए, क्योंकि उसके सदस्य अशिक्षित और अनभिज्ञ हैं। हर मामले में विकास अधिकारी को ही योजना को अन्तिम रूप देना होता है इसलिए समिति के सदस्यों को योजना बनाने की शक्ति क्यों नहीं दी जाए? विकास अधिकारी विकास खण्ड हेतु बनने वाली प्रायोजनाओं के लिए तकनीकी सलाह देता है। विकास अधिकारी ने बताया कि उसे सदस्यों से पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है। प्रधान केवल पीने के पानी आदि में ही दिलचस्पी लेते हैं, न कि कृषि या बागवानी में। इसके विपरीत खण्ड प्रमुख ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के प्रभारी अधिकारी उनकी बातों पर गौर नहीं करते।

ग्राम प्रधानों में से एक ने खण्ड की समस्याओं का उल्लेख करते हुए एक उदाहरण देकर बताया कि पंचायत को जंगलों से रेसिन (राल) उत्पादन के लिए रायल्टी (पारिश्रमिक) मिलती है। परन्तु यह तब मिलती है जब ग्राम सभा कोई विकास योजना प्रस्तावित करे। इस बार उन्होंने एक सड़क बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे छः महीने में बना कर तैयार कर दिया। जिला परिषद ने भी रायल्टी के भुगतान की स्वीकृति दे दी। परन्तु विकास अधिकारी ने भुगतान उस समय तक के लिए रोके रखा जब तक कि ओवरसियर सड़क की जांच करके रिपोर्ट न दे दे। परन्तु पंचायत के बार-बार अनुरोध करने पर भी ओवरसियर उपलब्ध नहीं हुआ। इस प्रकार काफी समय तक भुगतान रुका रहा जिससे पंचायत को भारी परेशानी हुई। इस तरह लाल फीताशाही और ढील के कारण विकास में काफी बाधा आती है। ऐसा वातावरण समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए हानिकारक है।

दूसरी ओर विकास अधिकारी ने बताया कि उनका आदर्श 'जनता के लिए जनता द्वारा' है। परन्तु क्षेत्र के निवासी इसके प्रति उदासीन हैं। कुछ कार्यक्रम जैसे शिक्षा, जल-निकास, पशुपालन, कृषि आदि सिर्फ लोगों पर निर्भर हैं, परन्तु वे इनके प्रति उदासीनता दिखाते हैं। वित्तीय कठिनाइयां और प्रशासनिक बाधाओं का भी उसे सामना करना पड़ता है तथा इसलिए लोगों की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। विकास अधिकारी के अपने शब्दों में वह 'आधुनिक द्रौपदी' है क्योंकि उसे बहुतों को संतुष्ट करना पड़ता है।

परन्तु एक दूसरे पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि विकास खण्ड कार्यकर्ता, विशेषकर विस्तार अधिकारी अपना कार्यक्षेत्र केवल कार्यालय तक ही सीमित रखते हैं तथा दूसरी ओर गैर-सरकारी नेता अपनी शक्तियों के जोड़-तोड़ में लगे रहते हैं—ये दोनों ही स्थितियां खराब हैं। हालांकि गांवों के लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार विकास कार्यक्रमों में अपना अंशदान/श्रमदान करने के लिए तैयार हैं, परन्तु उनसे काम लेने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर समन्वय और सहयोग द्वारा जनसहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिएं।

इन साक्षात्कारों, विचार-विमर्शों और निरीक्षणों से खण्ड कार्मिकों के बारे में निम्न तथ्य सामने आए हैं:—

1. (क) जिला कृषि अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी पर कितना नियंत्रण रखता है?
   (ख) विकास अधिकारी अपने सहायक विकास अधिकारियों पर कितना नियंत्रण रखते हैं?
   (ग) सहायक विकास अधिकारी ग्राम सेवकों पर कितना नियंत्रण रखते हैं?
   (घ) क्या प्रमुख को स०वि०अ० को आदेश देते समय खं०वि०अ० से सलाह करनी चाहिए?
2. खण्ड विकास कर्मचारियों द्वारा किए गए दौरे, व्यक्तिगत पूछताछ और सूचनाओं की संख्या बहुत कम है। ग्राम सेवकों का कार्य संतोषप्रद है।
3. जैसाकि सहायक विकास अधिकारियों ने बताया है, उन्हें पिछले 15 वर्षों से कोई विशेष प्रशिक्षण इत्यादि नहीं मिला है; अतः उन्हें समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।
4. खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रगति समय, मात्रा और संख्या में आंकी जाती है। इसलिए 'कितना व्यय किया गया' के स्थान पर 'कितने अच्छे प्रकार व्यय किया गया' को महत्व दिया जाना चाहिए।
5. ग्राम जनता, विशेषकर निर्वाचित प्रतिनिधियों को, कर्मचारियों का रचनात्मक उपयोग करना चाहिए।

खण्ड विकास प्रशासन

वर्ष 1949 पंचायती राज्य की शुरूआत के लिहाज से एक परिवर्तन लाया। 1952 ने न केवल सामाजिक विकास और पंचायती राज्य के साथ-साथ किया बल्कि खण्ड विकास प्रशासन के रूप में पढ़े-लिखे बेरोजगार शहरियों और अशिक्षित उपेक्षित ग्रामवासियों को भी साथ-साथ किया। अब दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। प्रशासनिक लोग राजनैतिक लोगों को हेय समझते हैं। दूसरी ओर राजनैतिक (चुने हुए प्रतिनिधि) प्रशासनिक लोगों को शक्ति विहीन समझते हैं। विकास अधिकारी और प्रमुख समन्वय से काम न लेकर शक्तियों की आजमाईश से काम लेते हैं यह एक सोचनीय बात है।

समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि खण्ड और पंचायत स्तर पर संगठनात्मक ढांचे की पुनः संरचना की जाए। बिना किसी अतिरिक्त व्यय के सभी कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। यह अत्यन्त आवश्यक भी है क्योंकि मज़बूत खण्ड प्रशासन के अभाव में 'गरीबी-हटाओ' योजनाओं का सफल क्रियान्वयन असंभव है।

जब तक पंचायत के पदाधिकारी विकास कर्मचारियों से सीधा और बार-बार संबंध कायम नहीं करते तब तक ग्राम विकास की योजनाएं पूरी नहीं हो सकेंगी। खण्ड के कर्मचारियों को भी अपने 'बास' बनने के व्यवहार को छोड़कर लोगों के साथ सेवा भावना से सहयोग करना चाहिए।

सुझाव

1. खण्ड के सभी कर्मचारियों को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के संदेश वाहक के रूप में लोगों तक पहुंचकर उन्हें विकास के नए आयामों और नई-नई तकनीकों की जानकारी देनी चाहिए। लोगों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूर्ण आश्वस्त करना चाहिए। विकास अधिकारी का अपने सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए।

2. खण्ड कार्मिकों को अपना ज्यादा समय लोगों के साथ उन्हें शिक्षित बनाने, हिम्मत बढ़ाने, नई तकनीकों का प्रदर्शन करने में लगाना चाहिए। उन्हें इस सारे काम का पूरा ब्यौरा कागजों में भरने पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इससे व्यर्थ ही समय और कागजों की बर्बादी होती है। और फील्ड कर्मचारी आफिस कर्मचारी बन जाते हैं।

3. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में फील्ड कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण बहुत महत्व रखता है। इसलिए नियमित अन्तराल पर इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें पिछले 10 वर्ष से कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ हो, व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजा जाना चाहिए।

4. अधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में इस बात पर भी बल दिया जाना चाहिए कि उनके कार्य 'विकास परक' होने चाहिए। 'विकास परक' कार्य उनकी पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता समझी जाए।

5. उत्पादन देने वाली योजनाओं से ही सभी तरह की प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती। जल निकास, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) का पद पुनः चालू किया जाना चाहिए।

6. ग्राम सेवक ग्रामीणों की समस्याओं से भली प्रकार परिचित होता है। अतः उसे उन समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे कृषि, परिवार-नियोजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र के तकनीकी कर्मचारियों से संबंध बनाकर जनता तक ये तकनीकी जानकारी पहुंचानी चाहिए।

7. ग्राम सेवक कनिष्ठतम कर्मचारी है। उसे सहायक देने की सिफारिश तो नहीं की जा रही है पर हां उनकी संख्या, प्रत्येक विकास खण्ड में, जिसके अंतर्गत 86 ग्राम-पंचायत आती हैं, वर्तमान 24 से 43 की जानी चाहिए ताकि 2 ग्राम पंचायतों को एक ग्राम सेवक सुलभ हो सके। पूर्ण विस्तार कार्यक्रम तब तक अधूरा है जब तक कि ग्राम सेविकाएं नियुक्त नहीं की जातीं। इसलिए ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विकास से, ग्रामीण लोग जहां वे जन्म लेते हैं अपना जीवन स्तर और जीवन-यापन के साधन वहीं उपलब्ध कर सकते हैं। सामुदायिक विकास और पंचायती राज संस्थाएं सरकार और लोगों के लिए एक समान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती हैं जिससे ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु समान उद्देश्य और कार्य तैयार किए जा सकें। अतः इन संस्थाओं को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्वास और दिलचस्पी से मिलकर कार्य करना चाहिए। □

अनुवादक—हनुमान सिंह पंवार
51, मंदिर वाली गली,
यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016.

मेरा राष्ट्र

श्रीकांत पाण्डेय

सूरज चांद-सितारों वाले आसमान के नीचे।
मेरे राष्ट्र की बाहों में सतरंगी बाग-बगीचे।
नीलकमल-सा अम्बर इसका, शीतल इसकी छाया।
गंगा की धारा से पावन मेरे देश की काया।
फसलों के अधरों पर कान्हा की वंशी, हाथों में कोदण्ड राम का
चिन्तन में आभा ऋषियों की, भोग भरा मन योग श्याम का
जन-जन की आशाएं जागें, जागे देश महान।
खेतों के राजा तुम जागो, जाग उठे ईमान।
तुम्हारा खेती में जुटना जैसे व्रत हो सत्यव्रती का।
शत-शत नमन तुम्हें औ' गंग-जमुन दुख हरनी का।
जागो हे दिनमान धरा के, जागो श्रमिक किसान।
आशुतोष। संकल्प करो तुम, फल देंगे भगवान।
संयम, शील, स्नेह की मूरत, जाग्रत नीलकंठ की तान।
तुम लौह-पुरुष हो, देश की मझधार के तुम ही यान।
नई लहर उठ रही, तुम्हें भी देख रहा कण-कण धर का
उठो सुनो आह्वान कर्म का, राष्ट्र चेतना के निर्झर का।
अपने खून-पसीने से जो इस धरती को सींचे।
फसल काटने के मौसम में वह न रह जाए पीछे।
शहरी मजदूरों से लेकर गांव के किसानों तक।
यह संदेश पहुंचाना है सरहद के जवानों तक।
मुक्त गगन, उन्मुक्त पवन में तिरंगा लहर-लहर लहराए।
शहीदों से प्राप्त स्वतंत्रता के लोकतंत्र में मिटता जन-विश्वास जगाए।

पत्रकार,
500/183, कुतुबपुर,
लखनऊ-226007,

देश की माटी में स्वावलम्बन का सौरभ

सस्य श्यामला और अन्नपूर्णा कही जाने वाली हमारी धरती का नाम अब सार्थक हो गया है। वर्षों से चले आ रहे सरकार के सतत प्रयत्न और किसानों की लगन व कड़ी मेहनत रंग लाई। अब हम अनाज के लिए दूसरों के मुंहताज नहीं रहे। आज हम केवल स्वावलम्बी होने के गौरव की ही अनुभूति नहीं करते अपितु कुछ जरूरतमन्द देशों को अन्न निर्यात करने का संतोष भी प्राप्त करते हैं। 1980-81 वर्ष खासतौर से उत्साहवर्धक रहा है क्योंकि एक भयंकर सूखे के बाद हम संकट से उबर आए। 1979-80 के मुकाबले 1980-81 में कृषि की पैदावार 18 प्रतिशत बढ़ी है। उम्मीद है कि इस साल की फसल से हमें 13 करोड़ 30 लाख टन अनाज मिलेगा जो गत वर्ष की तुलना में 240 लाख टन अधिक है। विशेष संतोष की बात यह है कि इस बार का कृषि उत्पादन पिछले सर्वश्रेष्ठ वर्ष 1978-79 से 10 लाख टन ज्यादा है। उम्मीद है कि इस साल 22 प्रतिशत अधिक अनाज, 21 प्रतिशत अधिक गन्ना और 16 प्रतिशत अधिक तिलहन पैदा होगा। यही नहीं, इस वर्ष हमने लगभग 5 लाख टन चावल विदेशों को निर्यात किया है।

सफलता की जो मंजिल हमने प्राप्त की है उससे पीछे कई दशकों का प्रयास, कृषि अनुसंधान, किसानों तक खेती के आधुनिक तरीकों को पहुंचाना, उत्तम बीज और रासायनिक उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना, सिंचाई की व्यवस्था का विस्तार करना आदि है। देश में सर्वांगीण प्रगति की नींव, हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950-51 से डाली गई है। इन सबका नतीजा उत्साहवर्धक निकला है। 1950-51 में जहां हम केवल 5 करोड़ 5 लाख टन मात्र अनाज पैदा करते थे, एक दशक बाद यानी 1960-61 में 8 करोड़ 23 लाख टन तक जा पहुंचे। 1970-71 में हमने 10 करोड़ टन का स्तर पार कर लिया। उस साल अनाज का उत्पादन 10 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा रहा। अगर पिछले ही दशक पर नजर डालें तो 1972-73 तथा 1974-75 को छोड़कर जबकि हमारा उत्पादन 10 करोड़ टन से कम चला गया था, हम बराबर 10 करोड़ टन से ज्यादा का उत्पादन कर रहे हैं। 1980-81 में 13 करोड़ 30 लाख टन अनाज होगा जो कि पिछले वर्ष के 13 करोड़ 19 लाख टन के ऊपर पहुंच गया।

कृषि उपज की दृष्टि से 1978-79 का वर्ष अब तक का सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। 1979-80 में जोकि भयंकर सूखे का वर्ष था, उत्पादन में गिरावट आना स्वाभाविक ही था। उस साल अनाज के उत्पादन में 230 लाख टन की कमी हुई और उत्पादन घटकर 10 करोड़ 90 लाख टन रह गया। पर उर्वरकों तथा कृषि में काम आने वाली अनेक चीजों की पर्याप्त मात्रा में और समय पर पूर्ति करने, आधुनिक तकनीकों का किसानों तक पहुंचाने और मौसम की कृपा के कारण भी 1980-81 का साल हमारे लिए अच्छा रहा।

फसलों के हिसाब से देखें तो 1980-81 में चावल के क्षेत्र में उपलब्धि काफी गौरवपूर्ण है। खरीफ और गर्मी—दोनों ही मौसम की फसलों को मिलाकर 1980-81 में चावल का उत्पादन 560 लाख टन होगा जबकि 1978-79 के सर्वश्रेष्ठ वर्ष के मुकाबले 20 लाख टन अधिक है।

गेहूं की उपज 1950-51 में केवल 68 लाख 22 हजार टन थी। यह 1960-61 में बढ़कर एक करोड़ 9 लाख 95 हजार टन से अधिक हो गई। 1971-72 में गेहूं में 260 लाख टन के लक्ष्य को स्पर्श किया और 1978-79 में यह 350 लाख टन हो गया। इस साल 1980-81 में गेहूं की उपज 370 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में गेहूं का उत्पादन इस प्रकार तीन गुने से भी अधिक बढ़ा है, जो निस्संदेह गेहूं की उपज में एक क्रान्ति का द्योतक है।

व्यापारिक फसलें भी बढ़ी

व्यापारिक फसलों में भी प्रगति आशानुकूल रही है। गन्ने का उत्पादन 1540 लाख टन होगा जबकि 1979-80 के मुकाबले 260 लाख टन ज्यादा है। तिलहन, कपास और पटसन के विकास के लिए किए गए विशेष प्रयास और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप

इनकी भी वृद्धि हुई है। 1980-81 में तिलहनों का उत्पादन 102 लाख टन अधिक होने की संभावना है। कपास का उत्पादन 1979-80 में 77 लाख गाठें थी जबकि 1980-81 में 79.80 लाख गांठ का उत्पादन होगा।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में कम समय में पकने वाली अन्य किस्मों के बीज बांटने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित दाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अधिक सहायता दी जा रही है। 1980-81 में उत्तर और दक्षिण राज्यों में धान की परती भूमि में रबी, मूंग, उर्द तथा उत्तरी राज्यों में गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्रों को लाने के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। छठी योजना के अंत तक हमारा विचार है कि अनाज का उत्पादन बढ़ कर 15 करोड़ 40 लाख टन तक पहुंच जाएगा। तब तक हम एक करोड़ 30 लाख टन तिलहन व 21 करोड़ 50 लाख टन गन्ना उगाने लगेंगे।

कृषि के संबंध में उल्लेखनीय बात यह भी है कि 1979-80 में सूखे के बावजूद हमने बाहर से अनाज नहीं मंगाया जबकि 1965-66 में सूखा पड़ने के समय 100 लाख टन अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सूखा संबंधी राहत और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की आवश्यकता को देश में संकटकालीन भंडार से पूरा किया गया। यह इस बात का सूचक है कि हाल के वर्षों में अर्थव्यवस्था में काफी लोच आ गई है जिससे संकट की स्थिति का बखूबी सामना किया जा सकता है।

यह इस बात की भी पुष्टि है कि बफर स्टाक बनाने की नीति दूरदर्शितापूर्ण थी। पहली फरवरी, 1981 को सरकार के पास खाद्यान का बफर स्टाक 114 लाख टन था इस प्रकार बफर स्टाक और अन्य प्रयोजनों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाना सरकार की कृषि–नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समय भारतीय खाद्य निगम की केवल भंडारण क्षमता 220 लाख टन है। केन्द्रीय भंडार निगम के पास 35 लाख टन भंडारण क्षमता अलग से है। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य भंडार निगमों द्वारा मिलाकर छठी योजना अवधि में 76 लाख टन के अतिरिक्त भंडारण क्षमता तैयार कराने का कार्यक्रम है।

उर्वरकों का पूर्ति

फसल उत्पादन के लिए एक जरूरी तत्व उर्वरकों का उपयोग है। इस तत्व को ध्यान में रखते हुए 1980-81 में उर्वरकों की सप्लाई करने के विशेष प्रयास किए गए। फिर भी देशी उर्वरक उद्योग से प्राप्त उर्वरकों की सप्लाई आवश्यकता से कम हुई। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में यूरिया और पोटाश के भाव बढ़ जाने के बावजूद सरकार ने 50 लाख टन उर्वरक विदेशों से मंगाया। पहले उर्वरकों को केवल रेल स्टेशन तक ही सरकारी खर्चे पर पहुंचाने की व्यवस्था थी। 1980-81 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और यह फैसला किया कि देश में तैयार और आयातित––दोनों प्रकार के उर्वरक न केवल रेल स्टेशनों तक ही बल्कि सभी विकास खंडों के मुख्यालयों तक पहुंचाने का सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी। इससे देश के सभी विकास खंडों में पर्याप्त उर्वरक पहुंचने लगा है। उर्वरक की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद 1980-81 में उर्वरकों की खपत 55.8 लाख टन होने का अनुमान है जो 1979-80 के मुकाबले 6 प्रतिशत अधिक है।

अनाज और व्यापारिक फसल की उत्पादकता बढ़ाने में बढ़िया किस्म के बीज का बहुत योगदान रहता है। इसलिए देश भर में किसानों को वाजिव कीमतों पर बढ़िया बीज सुलभ कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1980-81 में प्रमुख बीजों का वितरण लगभग 25 लाख टन तक पहुंच जाने की संभावना है जबकि 1979-80 में 14 लाख टन बीज बांटे गए। इस प्रकार यह 80 प्रतिशत की वृद्धि है। 1981-82 में 32 लाख क्विंटल बढ़िया बीजों की सप्लाई करने का कार्यक्रम रखा गया है।

अधिक पैदावार देने वाला किस्में

अधिक पैदावार देने वाली किस्में हमारी नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। 1966-67 का वर्ष इस कार्यक्रम के लिए एक 'मील' का पत्थर के समान है। उस साल इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक पैदावार देने वाली किस्में बोई गई। 1978-79 में यह क्षेत्र बढ़कर 410 लाख हेक्टेयर हो गई जो इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। अब 1980-81 में जो उपाय किए गए उनसे अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का क्षेत्र बढ़कर 450 लाख हेक्टेयर हो गया। सिंचाई की व्यवस्था का निरंतर विस्तार हुआ है। 1980-81 वर्ष में 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

पैदावार बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिले। सरकार ने इसे अपनी स्वीकृत नीति माना है। 1965 में बना कृषि मूल्य आयोग विभिन्न कृषि जिन्सों के लिए कीमतों के बारे में सरकार को सलाह देता है। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि कृषि उत्पादकों के हितों की पूरी रक्षा हो।

अन्न उत्पादक और कृषि प्रधान देश भारत को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विदेशों से मंगवाना कम पीड़ाजनक बात नहीं थी। 1979 से स्थिति बदल गई है। इस साल हमने सोवियत संघ, मारीशस और वियतनाम को पिछले करारों के अंतर्गत चावल, गेहूं और गेहूं का आटा भेजा। यह ही नहीं बंगलादेश को 50 हजार टन गेहूं और 1.5 टन चावल तथा मारीशस को 24 हजार टन चावल सप्लाई किया। अफगानिस्तान और इंडोनेशिया को भी हमने चावल भेजा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सफलता हमारी प्रगति की राह में नया कीर्ति-स्तम्भ बन गई है। भारत की इस उपलब्धि की विश्व के कृषि विशेषज्ञों द्वारा सराहना की जा रही है। आज कई विकासशील देश भारत के अनुभवों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उत्सुक हैं। □

बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं

अप्रैल-जुलाई, 1981 के चार महीनों में ताप बिजली के उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होना विद्युत् क्षेत्र की एक उल्लेखनीय सफलता है। इससे पिछले छः महीनों में बिजली उत्पादन में 16 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई कार्यनीति क उल्लेखनीय लाभ मिल रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किए गए अनेक उपायों के फलस्वरूप बिजली उत्पादन और क्षमता वृद्धि की अधिक दर प्राप्त की गई है। ताप बिजली घरों की क्षमता उपयोग की दर में भी वृद्धि हुई है।

अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 तक, छः महीनों में बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में लगभग 5900 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5200 करोड़ यूनिट बिजली के उत्पादन से लगभग 700 करोड़ यूनिट अधिक था।

अप्रैल-जुलाई, 1981 की अवधि में कुल बिजली उत्पादन इससे भी अधिक रहा। इस अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिजली का 17 प्रतिशत उत्पादन हुआ। इस दौरान 3995 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली तैयार की गई। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह उत्पादन 3417 करोड़ 90 लाख यूनिट था। इन चार महीनों में बिजली उत्पादन 3946 करोड़ 30 लाख यूनिट के निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से लगभग 50 करोड़ यूनिट अधिक रहा।

ताप बिजली के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इसे देखते हुए पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह वृद्धि होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 में ताप बिजली के उत्पादन में इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अप्रैल-जुलाई, 1981 में पिछले वष की इस अवधि की तुलना में उत्पादन वृद्धि 20.4 प्रतिशत रही। ताप बिजली उत्पादन की यूनिटों को आवश्यक मरम्मत आदि के बाद पुनः लगाए जाने के बाद अक्तूबर, 1980 से ताप बिजली के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हुई थी।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई कार्य-नीति के भी काफी अच्छे परिणाम निकले हैं। क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार संयंत्रों में सुधार करना, बिजली घरों के संचालन और उत्पादन स्तरों में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा निगरानी रखना, उचित समय पर अतिरिक्त कल पुर्जे उपलब्ध कराना तथा ताप बिजली-घरों के लिए आवश्यक किस्म के कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई को सुनिश्चित करना। इन उपायों के फलस्वरूप ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता उपयोग का स्तर 1979-80 में 45 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1981 में 52 प्रतिशत हो गया।

समय-समय पर राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार विमर्श करके बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। बिजली परियोजनाओं को पूरा करने और उनके परिचालन के लिए आवश्यक सभी साज-सामान उचित समय पर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है।

दिल्ली में बिजली की स्थिति

दिल्ली में बिजली सप्लाई की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इस बार गर्मियों के दौरान बिजली बन्द रहने के लिए दिनों की संख्या में काफी कमी आई। उदाहरण के लिए अप्रैल-जुलाई, 1981 में दिल्ली में केवल पांच दिन बिजली बन्द रही जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में 47 दिन बिजली बन्द रही थी।

सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन से संबंधित योजना को उच्चतर प्राथमिकता दी है। छठी योजना में बिजली क्षेत्र के लिए 19265 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। योजना अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता में लगभग 20 हजार मेगावाट की वृद्धि होने की आशा है। पहली योजना में बिजली उत्पादन के लिए केवल 260 करोड़ रु० रखे गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इससे आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र के लिए धनराशि में लगातार वृद्धि होती गई और इस समय कुल योजना परिव्यय का 26 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के लिए रखा गया है।

वर्ष 1980-81 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 1823 मेगावाट हो गई जबकि 1979-80 में यह क्षमता 1799 मेगा-वाट थी।

ईंधन के साधनों के घटते भण्डार और पन बिजली के विशेष लाभों को ध्यान में रखते हुए देश में पन बिजली की क्षमता का विकास करने के काम को प्राथमिकता दी गई है। पिछले एक वर्ष के दौरान पन बिजली की 19 योजनाओं को मंजूरी दी गई जिनकी निर्धारित क्षमता 2649 मेगावाट थी। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में तीन और उत्तर प्रदेश में चार बिजली परि-योजनाओं के बारे में अध्ययन करने और उन्हें पूरा करने का निर्णय किया जा चुका है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

नए गांवों में बिजली पहुंचाने और सिंचाई के लिए पम्पसेटों को बिजली

देने के काम में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 1980–81 में 21509 गांवों में बिजली पहुंचाई गई जबकि इससे पिछले वर्ष 17029 गांवों को बिजली दी गई थी। 1980–81 में सिंचाई के लिए 3.60 लाख पम्पसेटों के लिए भी बिजली दी गई। हरिजन बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों में बिजली देने की विशेष व्यवस्था की गई है। जिन हरिजन बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां बिजली पहुंचाने के लिए योजना आयोग ने छठी योजना में 33 करोड़ रु० रखे हैं। 1980–81 में 7094 हरिजन बस्तियों में बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 103 योजनाओं को मंजूरी दी है जिन-पर 6.80 करोड़ रु० खर्च होंगे।

दामोदर घाटी निगम

मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों, इस्पात कारखानों और सहायक उद्योगों तथा रेलों जैसे महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं का बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले दामोदर घाटी निगम की उत्पादन और संयंत्र भार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1981 के पहले सात महीनों के दौरान दामोदर घाटी निगम का बिजली उत्पादन 3246 एम० के० डब्ल्यू० एच० रहा जबकि वष 1980 की इसी अवधि में यह 2460 एम० के० डब्ल्यू० एच० था। 1981 की इस अवधि में संयंत्र भार भी बढ़कर 48.6 प्रतिशत हो गया जबकि 1980 की इस अवधि में यह 40 प्रतिशत था।

भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध ने भाखड़ा के बांए तट के बिजली घर की मशीनों को बहतर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके फलस्वरूप मशीनों की निर्धारित क्षमता 90 मेगावाट से बढ़कर 108 मेगावाट होने की आशा है। एक यूनिट में यह काम पूरा हो चुका है और दूसरी यूनिट में यह काम शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। पिछले एक वर्ष में भाखड़ा के दायें तट के बिजली घर की क्षमता भी 120 मेगावाट से बढ़ाकर 130 मेगावाट कर दी गई है। □

परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय आवश्यकता

डा० अशोक कुमार सिंहल

जनसंख्या वृद्धि की समस्या अपेक्षाकृत बीसवीं शताब्दी की समस्या है। इस शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में गोखले, विश्वेश्वरैय्या, कर्वे आदि चिन्तकों ने जनसंख्या-नियंत्रण के महत्व पर बल दिया था। परिवार नियोजन, स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय नीति का भी एक मूल अंग रहा है। इस कार्यक्रम से व्यक्तियों में, कम से कम शिक्षित व्यक्तियों में जनसंख्या के विकास की दर को रोकने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागृति उत्पन्न करने में सहायता मिली है। ग्रामीण परिवार नियोजन का एक व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है और बड़ी संख्या में पराचिकित्सा तथा विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। जच्चा-बच्चा की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है और जच्चा-बच्चा की मृत्य-दर में कमी लाई गई है। परन्तु फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि कार्य-क्रम को केवल ऊपरी सफलता प्राप्त हुई है। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडू में इस कार्यक्रम को पर्याप्त सफलता मिली, किन्तु अन्य राज्यों में नहीं के बराबर।

1981 की जनगणना के परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अब हमारी संख्या 68 करोड़ 38 लाख हो गई है, जबकि हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम ने पिछले दशक म अनुमानतः 3.7 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि को रोका है। हम जन्म-दर म वृद्धि रोकने की अपेक्षा मृत्यु-दर कम करने में अधिक सफल रहे हैं। वर्तमान जन्म-दर से हमारी जनसंख्या लगभग 31 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। प्रायः यह कहा जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। परन्तु ऐसा कहते समय हम यह भूल जाते हैं कि आस्ट्रेलिया के 13 करोड़ व्यक्तियों की आय भारत के 68 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों की आय के बराबर है। संयोग से अब तक हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक रहा है। हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में भी विस्तार हो रहा है। परन्तु यह कोई नहीं सोचता कि हमारे साधन और सुवि-धाएं कितनी हैं। देखा तो यह जाता है कि उन साधनों का सही और न्यायसंगत विभाजन किस हद तक होता है। कुछ उत्पादन के हिसाब से विश्व के प्रथम 10 या 12 देशों में हमारी गिनती होती है। परन्तु प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व बैंक ने हमें 106 वें स्थान पर रखा है। जनसंख्या वृद्धि से निर्धन व्यक्तियों को सबसे अधिक हानि होती है।

अब समय आ गया है जब कि हमें अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम म तेजी लानी होगी तथा सूचना, संचार और प्रोत्साहन की वर्तमान योजनाओं की उपयोगिता की फिर से समीक्षा करनी होगी। अध्ययनों से ज्ञात

होता है कि हमारे अधिकांश व्यक्ति यहां तक कि दूर-दराज के गांवों में बसे व्यक्ति भी परिवार नियोजन को अपनाना चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि फिर वे परिवार नियोजन पर अमल क्यों नहीं करते ? अफसरशाही ने कार्यक्रम के प्रति उत्साह ठण्डा तो नहीं कर दिया है और बुनियादी स्तर को कोशिशें नाकाम तो नहीं कर दी गई हैं अथवा वहां अन्य कोई समस्या तो खड़ी नहीं हो गई ? हमें उन राज्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जहां परिवार-नियोजन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जन-संचार नीति ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को परिवार नियोजन के लिए तैयार करने के के साथ सामूहिक प्रोत्साहन कार्यक्रम जोड़ दिया जाए। साथ ही चिकित्सा और अन्य सुविधाओं में तीव्र गति से सुधार लाया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ये सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए और उन्हें व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली के एक समन्वित अंग के रूप में विकसित किया जाना चाहिए तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और देखभाल तथा कुल मिलाकर परिवार की खुशहाली का साधन होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं के अनुरूप हो। जम्मू और कश्मीर या केरल में जो कार्यक्रम सफल हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वह नागालैण्ड में भी सफल हो। या जो साधन किसी राज्य विशेष में निश्चित रूप से प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, आवश्यक नहीं कि उसका अन्य राज्यों में भी स्वागत किया जाए। इसलिए हमारे कार्यक्रमों में कुछ लचीलापन होना आवश्यक है।

जनसंख्या विकास की गति जन्म-दर से बहुत प्रभावित होती है। अनेक जनसंख्या गणकों का मत है कि विकासशील देशों में इस कारण जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है, क्योंकि यहां सामाजिक अनिश्चय और आर्थिक असंतुलन विद्यमान है। यह स्वीकार करना होगा कि तब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती। कहा जाता है कि अच्छे खाते-पीते घरों में बच्चे कम पैदा होते हैं। किन्तु हम यह जोखिम नहीं उठाना चाहते कि हम समृद्धि और सम्पन्नता की प्रतीक्षा में बैठे रहें और बच्चे पर बच्चे पैदा करते रहें, चाहे उनके पेट भरने और सिर ढकने की व्यवस्था हो सके या न हो सके। हम इस हालत में नहीं कि उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ जाए और व्यक्ति स्वयं छोटा परिवार रखने की रीत पर चलने लगें। मानव जाति को इस क्षेत्र में आगे आकर परिस्थितियों को बदलना चाहिए। परिवार नियोजन के क्षेत्र में जनता के व्यवहार को प्रभावित करने और स्त्री-पुरुषों में छोटे परिवार आन्दोलन के प्रति उत्साह जागृत करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन शिक्षा का अर्थ है व्यापक शिक्षा, चाहे वह औपचारिक हो या अनोपचारिक जो सभी प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से सेवाओं और आस्थावान व्यक्ति के द्वारा दी जाए। महिला शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं को यदि ढंग से समझाया जाए तो वे स्वयं ही बड़ी प्रभावशील प्रचारक बन सकती है। यह ठीक है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मुंह के साथ ही साथ हाथ भी होते हैं। किन्तु जब तक हाथ कार्य करने योग्य होते हैं तब तक उसके खाने-पहनने और ढंग से रखने की व्यवस्था करनी होती है और उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। व्यक्तियों को यह समझाया जाना चाहिए कि जनसंख्या भार के अनुसार ही विकास की गति घटती-बढ़ती है।

भारत का जीवन दर्शन सदा व्यावहारिक रहा है। किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गर्भरोध के प्रश्न के चारों ओर दुविधाओं और संकोच का जाल बिछा हुआ है। बीमार होने पर किसी व्यक्ति को अन्य आपरेशनों और दवाओं के खाने पर लज्जा अनुभव नहीं होती तो फिर वे नसबन्दी या नलबन्दी या ऐसी अन्य दवाएं खाने से क्यों कतराते हैं ? सरकार ने परिवार नियोजन को एक स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है। हमारे नियोजन का केन्द्र बिन्दु परिवार नियोजन की स्थिति ही है। छठी योजना में परिवार नियोजन पर 10 अरब रुपय व्यय किए-जाएंगे। जिसका पूरा भार केन्द्र सरकार उठाएगी। सरकार चाहती है कि ऐसे नए तरीकों की खोज की जाए जो प्रभावशाली हों, कम खर्चीले हों और वैकल्पिक तथा सुरक्षित हों। परिवार नियोजन एक जन आन्दोलन बन जाना चाहिए। यह व्यक्तियों द्वारा और व्यक्तियों के लिए हो, तभी हमारी आशाएं पूरी हो सकती हैं। मूल व्यवस्था और सेवाएं जहां सरकार का उत्तरदायित्व है वहां प्रेरणादायी कार्य और सन्देश प्रसार का काम केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। यह दायित्व सामुदायिक संगठनों, स्थानीय संस्थाओं, मजदूर संगठनों, महिला-मण्डलों और राजनैतिक दलों को निभाना चाहिए। इन संगठनों को सक्रिय बनाने के लिए हमारे संसद सदस्य और विधायक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।

आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता की बात कही जाती है। यदि कोई ऐसा प्रकरण है जिसके ऊपर राष्ट्रीय सहमति नितान्त आवश्यक है तो निश्चित रूप से यह परिवार नियोजन है। हाल ही के कुछ वर्षों में परिवार नियोजन को राजनीति द्वारा पक्षपातपूर्ण विवाद में घसीट लिया गया है, किन्तु अब हमें यह बात भूला देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राजनैतिक दलों के कुछ नेताओं और साथ ही राष्ट्रीय जीवन की बड़ी-बड़ी विभूतियों के द्वारा एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया है जिसमें परिवार नियोजन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति की बात कही गई है। परिवार नियोजन को दलगत राजनीति से ऊपर रख कर इसे प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में स्थान दिया जाए, जिसको हृदय से पूरा सहयोग प्राप्त होना चाहिए। जनसंख्या एक मानवीय समस्या है। यह जीवन स्तर का प्रश्न है। ☐

डा० अशोक कुमार सिंहल,
एम० बी० बी० एस०
असिस्टेंट सर्जन
अमृतसर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के
बगल में, दाल बाजार,
ग्वालियर-474 009 (म०प्र०)

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बढ़ते कदम

सतीश कुमार जैन

उत्तर में हिमालय की ऊंची एवं लम्बी श्रृंखला एवं दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तथा पठारों से आबद्ध उत्तर-प्रदेश पूर्वकाल में आर्यावर्त तथा मध्य-देश कहलाता था। आगरा एवं अवध प्रान्तों के संयुक्त किए जाने पर इसका नामकरण संयुक्त-प्रदेश तथा प्रान्तों के पुनर्गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश हुआ है।

जनसंख्या की दृष्टि से 56 जिलों वाला यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका चौथा स्थान है। इसकी जन-संख्या अब दस करोड़ से अधिक है तथा कुल क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग कि. मी. है। इसके दामन में देश की दो बड़ी नदियां गंगा एवं यमुना अपने विशाल रूप में बहती हैं जिनके किनारे-किनारे देश की उच्चतम संस्कृति पनपी है। इन दोनों तथा अन्य नदियों ने लाखों हेक्टेयर क्षेत्र को सींचने के अतिरिक्त व्यापार के लिए जलमार्ग तथा विद्युत उत्पादन के लिए अनेक उपयुक्त स्थल भी प्रदान किए हैं।

कृषि-प्रधान राज्य होने पर भी उत्तर प्रदेश देश का एक विकासोन्मुख औद्योगिक बड़ा राज्य है। औद्योगिक रूप से इससे अधिक विकसित अन्य राज्य हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु। निजी क्षेत्र में इसमें 1978 तक कुल 340 बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित थे जिनके द्वारा 1462 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ। सन् 1978 तक इनमें 1085 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेशित थी तथा इनसे लगभग 1.80 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। इनमें सबसे अधिक इन्जीनियरी का सामान निर्माण करने तथा कृषि-उत्पादन पर आधारित उद्योग हैं।

राज्य में सार्वजनिक तथा संयुक्त-क्षेत्र में कुल 58 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें 500 करोड़ रुपये की पूंजी निवेशित है। इन 58 उद्योगों में 22 केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान, 16 राज्य सरकार के प्रतिष्ठान तथा 20 संयुक्त-क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं।

कानपुर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, जहां कई दशकों पूर्व इस्पात, कपड़ा जूट, ऊनी वस्त्र, चमड़े आदि का सामान निर्मित करने के लिए उद्योग स्थापित हो चुके थे। इन मिलों में कार्य करने वाले लाखों व्यक्ति कानपुर व इसके समीप निवास करते हैं। विगत वर्षों में गाजियाबाद तथा मोदी नगर भी प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए हैं। दिल्ली के निकट होने के कारण गाजियाबाद औद्योगिक गतिविधि का विशेषकर इस्पात एवं इंजीनीयरी की वस्तुओं के निर्माण का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है।

उत्तर-प्रदेश में प्राकृतिक साधनों तथा जन शक्ति की कमी नहीं है किन्तु इसके मुख्य-तया कृषि प्रधान राज्य होने के कारण औद्योगिक विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं हुआ है। अनेक स्थानों पर राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान किए जाने के कारण जिनमें बिजली, पानी भूमि, व ऋण की सुविधाएं मुख्य हैं। मध्यम तथा लघु उद्योगों की स्थापना में उन्नति हुई है।

उद्योगों के विकास के लिए राज्य में अनेक निगम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा 1974-75 से 1979-80 के मध्य औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 26 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। 1979-80 तक इसने संयुक्त-क्षेत्र में अथवा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में 117 करोड़ रुपयों की लागत पर स्थापित किए जाने वाले 31 उद्योगों के लिए अनुमति-पत्र (लाइसेंस) ले लिया था। उस समय तक इस निगम ने 25 जिलों में लगभग 15 हजार एकड़ भूमि, कारखाने स्थापित करने के लिए प्राप्त कर ली थी जिसमें से मार्च, 1980 के अन्त तक 9780 एकड़ भूमि का विकास कारखाने स्थापित करने के लिए किया जा चुका था। इस निगम द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम द्वारा भी उद्योगों के विकास में यथेष्ट योग-दान मिल रहा है। निगम द्वारा नवम्बर 1980 तक 117 बड़े और मध्यवर्ती उद्योगों को 35 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इन उद्योगों में 250 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेशित है और एक लाख से अधिक व्यक्तियों को सीधा रोज-गार मिला हुआ है।

राज्य का वस्त्र निगम प्रयत्नशील है कि राज्य में वस्त्र का उत्पादन बढ़े। इसने 40 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश द्वारा धागे की कताई के लिए 8 मिल स्थापित किए हैं जिनमें दो लाख तकुए लगे हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में धागे की कताई के 20 और मिलें लगाने की योजना है।

उत्तर-प्रदेश राज्य सीमेंट निगम द्वारा चुर्क एवं डाला में 4.8 लाख टन एवं 4 लाख टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता के सीमेंट कारखाने स्थापित कर रखे हैं। लगभग 17 लाख टन की उत्पादन क्षमता का एक कार-खाना निर्माण के अन्तिम चरण में है।

उत्तर-प्रदेश वित्त निगम ने 1979-80 के अंत तक लगभग 168 करोड़ रुपयों का ऋण प्रदान किया है। बिजली का सामान बनाने के लिए उत्तर-प्रदेश इलैक्ट्रानिक निगम की स्थापना की गई है। निगम ने संयुक्त-क्षेत्र के सात कारखानों को स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। निगम ने स्वयं भी चार कारखाने बिजली का सामान बनाने के लिए स्थापित किए हैं। इनके अतिरिक्त कानपुर के पास पनकी, रायबरेली, साहिबाबाद, (गाजियाबाद) नोयडा (बुलन्दशहर) तथा आगरा में इलैक्ट्रोनिक्स कम्प्लैक्स स्थापित किए

हैं जहां उद्योग स्थापित करने के लिए लघु उद्यमकर्ताओं को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस निगम का अपना एक क्रय-विक्रय विभाग भी है जिसके केन्द्र लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ और जालन्धर में स्थापित हैं।

चीनी निर्माण के लिए उत्तर-प्रदेश भारत का सर्वप्रमुख राज्य है। इसमें 89 चीनी मिलें स्थापित हैं जिनमें से 54 निजी क्षेत्र में हैं, 16 मिलों का प्रबन्ध उत्तर-प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा होता है तथा 19 मिल राज्य चीनी निगम के नियंत्रण में हैं। सहकारी चीनी मिल संघ दस नए मिल मीतगंज, सुल्तानपुर, महमूदाबाद आदि में स्थापित करने की योजना पर कार्यरत है तथा दस मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं उनके आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील है। राज्य के अधिकांश चीनी मिल पुराने हो गए हैं, उनके आधुनिकीकरण की तथा उनको घाटे की स्थिति से उबारने की आवश्यकता है।

देश में उत्पादित कुल चीनी का 25 प्रतिशत उत्पादन उत्तर-प्रदेश में ही होता है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का विचार है जिसके लिए वार्षिक रूप से 21.50 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। राज्य में चीनी मिल लगभग 130 दिन चलते हैं। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि गन्ने का वार्षिक उत्पादन बढ़ा कर 226 लाख टन किया जाए तथा गन्ने से 9.5 प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाए, चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि ईख की बुआई के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जाए, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जाए, गन्ने की किस्मों में सुधार किया जाए जिससे कि उसमें अधिक चीनी प्राप्त हो तथा चीनी के मिलों की मशीनों को भी बदला जाए।

चीनी मिलों के अतिरिक्त खंडसारी मिलों (केन क्रशरों) द्वारा भी चीनी की बहुत बड़ी मात्रा का उत्पादन होता है। राज्य में ईख बोने के लिए आरक्षित क्षेत्र में से केवल 28 प्रतिशत गन्ना ही बड़ी मिलों को जाता है, 55 प्रतिशत गन्ना इन खंडसारी मिलों तथा कोल्हुओं में पिराई के लिए गुड़ बनाने के काम में आता है और शेष 17 प्रतिशत गन्ने का उपयोग बीज बनाने तथा चूसने के लिए होता है। राज्य सरकार का विचार है कि इन सभी उपयोगों के लिए उत्तर-प्रदेश में गन्ने का वार्षिक उत्पादन बढ़ा कर 754 लाख टन किया जाए। 1979-80 में राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन 471 लाख टन हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार 283 लाख टन वार्षिक की वृद्धि करनी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गन्ने की उत्पादन वृद्धि के लिए अनेक विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं में राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों, गन्ना सहकारी समितियों, गन्ना परिषदों, चीनी मिलों एवं खन्डसारी उत्पादकों सभी से सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। उत्तर-प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद् उत्पादकों को अच्छी किस्मों का बीज-गन्ना उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने एवं उपलब्ध साधनों तथा जनशक्ति के समुचित उपयोग के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार भी लघु एवं ग्राम उद्योगों तथा हथकरघा उद्योग पर बल देती है। इनके अंतर्गत राज्य में औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना लघु उद्योगों की स्थापना, हस्तकला, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, हथकरघा तथा पावरलूम उद्योग एवं सिल्क उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। इनके विकास के लिए राज्य-सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में 160 करोड़ रुपयों की राशि का प्रस्ताव किया था।

कुछ वर्षों पूर्व जिला औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया गया था। बेरोजगारी को कम करने की दृष्टि से इन जिला केन्द्रों को स्थापित करने की योजना को देश व्यापी स्तर पर आरम्भ किया गया था। 1977 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जहां उत्तर-प्रदेश में एक करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश पर बड़े एवं मध्यमवर्ती उद्योगों में 189 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था उसी पूंजी निवेश द्वारा लघु अथवा ग्रामीण उद्योगों से 654 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था। अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के सभी 56 जिलों में औद्योगिक केन्द्र खोलने पर कार्य हो रहा है। 1981-82 की योजना में इस कार्य को गति देने के लिए राज्य-सरकार द्वारा तीन करोड़ रुपयों का प्रस्ताव किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिए प्रस्तावित राशि है बीस करोड़ रुपये।

कालीन निर्माण उद्योग द्वारा उत्तर-प्रदेश में लगभग एक लाख तीस हजार व्यक्तियों को आजीविका मिली हुई है। राज्य में लगभग 90 करोड़ रुपये मूल्य के कालीनों का वार्षिक रूप से उत्पादन होता है जो समस्त देश के कालीन उत्पादन का 90 प्रतिशत है। अभी तक विश्व की मांग का केवल 6 प्रतिशत ही भारत द्वारा निर्यात होता है। कालीन की गुण विशिष्टता को बढ़ाकर इनके बहुत अधिक परिमाण में निर्यात करने की सम्भावनाएं हैं। निर्यात अधिक न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि विदेशी आयातकों द्वारा चाहे गए डिजाइनों को देने के पश्चात् भी उनके अनुरूप कालीन निर्माण करने की क्षमता न होना। इन डिजाइनों के अनुरूप कालीन तैयार करने, कालीनों को सुन्दर बनाई और अधिक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में अनेक नवीन केन्द्र खोलने की योजना है। केन्द्र पर लगभग 50 व्यक्ति प्रशिक्षित किए जाएंगे। भदोई के संयुक्त-क्षेत्र में स्थापित ऊनी धागा निर्माण करने के कारखाने के अतिरिक्त सुल्तानपुर में भी ऊनी धागे के कारखाने को खोलने का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना काल में मिर्जापुर एवं भदोई के समीप के क्षेत्रों में दस अन्य कालीन निर्माण केन्द्र स्थापित करने का विचार है। प्रत्येक केन्द्र पर दस उत्पादक इकाइयां होंगी और प्रत्येक उत्पादक इकाई में मालिक सहित 100 कालीन बुनकर होंगे।

पीतल एवं कलई के बर्तनों के निर्माण के लिए मुरादाबाद सारे देश में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के अतिरिक्त धातु के बर्तनों एवं कलात्मक सामान का निर्माण जलेसर (एटा), अलीगढ़, मिर्जापुर एवं वाराणसी में भी किया जाता है। इस उद्योग द्वारा वर्ष भर में राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का निर्माण होता है जिसमें से 22 करोड़ रुपये का सामान निर्यात हो जाता है।

इस उद्योग द्वारा और अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं पर कार्य किया जा

रहा है।

1. प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना
2. राज्य पीतल निगम की स्थापना
3. डिजाइन एवं विकास केन्द्र की स्थापना
4. मुरादाबाद एवं जलेसर में विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

राज्य पीतल निगम मुरादाबाद में पीतल की चादरें बनाने के एक कारखाने तथा बिजली से बर्तनों आदि पर पालिश करने के कारखाने को स्थापित कर रहा है। इसके द्वारा कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, उनको प्रशिक्षण सुविधाएं जुटाने, डिजाइन सुझाने तथा परिष्कृत औजार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति हुई है।

काष्ठ पर कलात्मक खुदाई का कार्य अधिकतर सहारनपुर में होता है। समस्त राज्य में इस प्रकार के निर्मित सामान का 95 प्रतिशत सहारनपुर में ही बनता है। इस निर्मित सामग्री में से 45 प्रतिशत का निर्यात हो जाता है। शीशम की मजबूत लकड़ी पर कलात्मक जालीदार पर्दों व अनेक प्रकार की सुन्दर मेजें आदि बनाने के लिए सहारनपुर सारे देश में प्रसिद्ध है। इस उद्योग में लगभग 33,000 कारीगर लगे हुए हैं और वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान निर्मित किया जाता है।

चिकन-वस्त्र उद्योग

लखनऊ अपने चिकन के काम के वस्त्रों के लिए देश एवं विदेशों में प्रसिद्ध है। चिकन का सूक्ष्म काम यहां कलात्मक ढंग से अनेक प्रकार के वस्त्रों जैसे साड़ियों, कुर्तों रुमाल, टोपी, तकिए के गिलाफ आदि पर किया जाता है। चिकन वस्त्र-उद्योग मुख्यतः लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी एवं रायबरेली में केन्द्रित है। इस कार्य में 45,000 व्यक्ति, अधिकांशतः महिलाएं, लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने चिकन कला को विकसित करने एवं रोजगार के साधन बढ़ाने की दृष्टि से लखनऊ में एक विकास केन्द्र स्थापित किया है। उसके अंतर्गत चल रहे वस्त्र-निर्माण यूनिट में 600 महिलाएं चिकन-वस्त्र बनाने का कार्य करती हैं। यह विकास केन्द्र कारीगरों को वस्त्र तथा धागा प्रदान करने, उनके द्वारा बनाए गए वस्त्रों को खरीदने और अपने विक्रय केन्द्रों द्वारा उसके बिक्री करने का भी कार्य करता है।

राज्य में चिकन-वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने तथा वस्त्र निर्माण बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। आशा की जाती है कि 12 करोड़ रुपये के वर्तमान वार्षिक चिकन-वस्त्र निर्माण के स्थान पर 1984-85 तक 24 करोड़ रुपये के मूल्य के वस्त्र का निर्माण होने लगेगा।

खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा देहात में निवास कर रहे बेरोजगारों तथा अर्ध-बेरोजगारों को यथेष्ट आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सकती है, उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। इनमें बहुत थोड़ी पूंजी लगाने पर ही निर्वाह योग्य आय प्राप्त की जा सकती है। इन कुटीर उद्योगों के विकास एवं स्थापित करने के लिए तकनीकी परामर्श आदि देने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हथकरघे द्वारा वस्त्र में स्वावलम्बन के अतिरिक्त ग्रामीण व्यक्ति अपनी आय में यथेष्ट वृद्धि कर सकते हैं। इस उद्योग को विकसित करने के लिए राज्य सतत् प्रयत्नशील है और अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। उनमें से कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

1. वस्त्र बुनकरों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देना
2. कम लागत पर धागा देने के लिए कताई के सहकारी मिलों की स्थापना करना
3. हथकरघा निगम को वित्तीय सहायता देना जिससे कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए अपने केन्द्र स्थापित करा सके।
4. जिला बुनकर सहकारी संघों की स्थापना करना
5. हथकरघा उद्योग समूहों की स्थापना करना जिससे कि स्थानीय रूप में दी जा रही सुविधाओं/सहायता के कारण उद्योगकर्ता 10 से लेकर 20 करघे वाले कारखाने स्थापित कर सकें।
6. शिक्षित बेरोजगारों को छोटा हथकरघा कारखाना स्थापित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना
7. अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के बुनकरों को विशेष रूप से बुनाई में प्रशिक्षण देना।
8. हथकरघों के आधुनिकीकरण/यंत्रीकरण के लिए बुनकरों को वित्तीय सहायता देना।
9. रंगाई, डिजाइन आदि सिखाने के लिए केन्द्र खोलना।
10. बुनकरों के लिए सुविधापूर्ण बस्तियां बसाना।
11. बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों/वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रदर्शनियां तथा मेले आयोजित करना, आदि-आदि।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिक रोजगार दिलाने की क्षमता रखने के कारण राज्य सरकार हथकरघा उद्योग को राज्य में अधिक से अधिक विकसित करने के लिए भरसक प्रयत्नशील है।

विगत 20-25 वर्षों के काल में लघु उद्योगों के विकास में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है किन्तु निर्धनता दूर करने की दृष्टि से विशेष व्यापक परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं। 1972-73 में केवल 12,851 लघु-उद्योग ही स्थापित थे, 1979-80 में उनकी संख्या बढ़कर 43,159 हो गई थी। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत 4284 लघु उद्योगों को मिलाकर उत्तर-प्रदेश में 1979-80 तक 47,443 लघु उद्योग स्थापित थे। उनमें पांच लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा उनके द्वारा 980 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का वार्षिक रूप में उत्पादन हुआ है। राज्य की जनसंख्या तथा बेरोजगारी को देखते हुए एवं वस्तुओं के अभाव के कारण कठिनाइयों की दृष्टि में रखते हुए राज्य में और अधिक औद्योगिक विकास की आवश्यकता है।

सतीश कुमार जैन
688 बाबा खड़क,
सिंह मार्ग, नई दिल्ली
110001

हरिजन बस्तियों में नए जीवन की सरगम

प्रेम द्विवेदी

हरियाणा में गुड़गांव से कोई 25 किलोमीटर दूर एक गांव में प्रवेश करते ही एक गतिमान जीवन का आभास होता है। घर-घर में लोग अपने जूते बनाने के काम में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। कुछ स्त्रियां ट्रांजिस्टर पर हरियाणवी संगीत सुनती हुई जूतियों पर कढ़ाई कर रही हैं तो कुछ समूह में पेड़ों तले बैठी लोकगीत गुनगुनाती हुई तेजी से कढ़ाई कर रही हैं। यह मुहम्मद-पुर अहीर की एक हरिजन बस्ती है जिसमें लगभग सवा सौ परिवार रहते हैं और सभी जूतियां बनाने का काम करते हैं। यहां के एक निवासी 50 वर्षीय राम नारायण बताते हैं कि 3-4 साल पहले तक सुबह से शाम तक मेहनत करने पर भी वह परिवार का पेट नहीं भर पाता था। करीब 18 महीने पहले एक अनहोनी सी घटना हुई। बैंक वाले खुद हमारे यहां आए और जूतियों का काम ठीक प्रकार से चलाने के लिए ग्रामीण बैंक से 3000 रुपये का कर्जा दिलाया। सिण्डीकेट बैंक की इस पहल के साथ उन के जीवन में नया मोड़ आया। इतनी पूंजी एक साथ मिलने से धंधा जम गया और राम नारायण का कहना है कि अब उनको सारा खर्चा निकालकर महीने में 300 रुपये की आमदनी होती है जबकि पहले 100–150 रुपये कमाना भी मुश्किल था।

ऐसी ही बात तीन भाई रामपत, प्यारे लाल और मदन ने बताई। वे तीनों अपनी दुकान पर काम में लगे थे। बनी-अधबनी जूतियां उनके चारों ओर फैली थीं और रेडियो पर खबरें आ रही थीं। इन तीनों भाईयों ने बताया कि उनमें से प्रत्येक ने 3000 रुपये ग्रामीण बैंक से लिया है और वह भी दूसरी बार। रामपत ने बताया कि साथ में सारा खर्चा निकालकर उनको 2000 रुपये बच जाते हैं।

दान सहाय तो हमें बड़े उत्साह के साथ अपने घर में ले गए। वहां सब कुछ व्यवस्थित था। एक कोने में सिलाई की मशीन रखी थी। दूसरी ओर रखे स्टेन-लेस स्टील के बर्तन जीवन में आई तब-दीली की कहानी कह रहे थे। साधनों और सुविधाओं के अभाव में पहले सबको महंगी दर पर थोड़ा-थोड़ा कच्चा माल खरीदना पड़ता था लेकिन अब ग्रामीण बैंक से ऋण मिलने के कारण उनके साथी गाजियाबाद से उचित मूल्य पर थोक में कच्चा माल खरीद लेते हैं। बिक्री के बारे में उन्होंने बताया कि अब व्यापारी स्वयं गांव में आकर उनका माल खरीद लेते हैं और उनका मूल्य भी उनको ठीक मिलता है।

एक व्यक्ति एक दिन में दो जोड़े जूती बना लेता है। दान सहाय ने बताया कि प्रत्येक जोड़े पर 5 रुपये का लाभ होता है। धंधा व्यवस्थित होने के कारण स्त्रियां जूतियों पर कढ़ाई में व्यस्त रहती हैं। दान सहाय ने हंसकर कहा कि काम में लगे रहने के कारण स्त्रियों को अब आपस में लड़ाई-झगड़े का समय ही नहीं मिलता।

सभी घरों में बिजली

इस बस्ती में सारे 125 घरों में और गलियों में बिजली के प्रकाश की व्यवस्था है। बस्ती में एक पक्का कुआं भी है। हरियाणा देश का ऐसा भाग्य-शाली राज्य है जहां सभी 5634 हरि-जन बस्तियों में बिजली पहुंचा दी गई है और इस प्रकार राज्य के 22 हजार से भी अधिक हरिजन घरों में बिजली का प्रकाश पहुंचा है। घर में बिजली के लिए केवल 50 रुपये मात्र खर्च करने होते हैं। इसमें 15 रुपये सिक्यो-रिटी है और 35 रुपये घर के अन्दर तक मीटर, तार आदि फिट करने का मूल्य है।

मुहम्मद पुर अहीर गांव में ही राज्य सरकार द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र भी है। इसमें युवकों को खेस, तौलिया, बैडशीट और पर्दों का कपड़ा आदि बुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक युवक को 3000 रुपये का ऋण ग्रामीण बैंक से मिलता है। अपने काम-धंधे में अपने पैरों पर भली प्रकार खड़े हो सकें इसके लिए केन्द्र से उनको कच्चा माल मिल जाता है। केन्द्र के माध्यम से ही हरियाणा हथकरघा निगम इन युवकों द्वारा तैयार माल खरीद लेता है और बाजार में उसकी बिक्री की व्यवस्था करता है। राज्य में ऐसे तीन केन्द्र हैं।

आवास व्यवस्था

हरिजनों के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से गुड़गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर कनई गांव में 250 परिवारों को आवासीय भूखंड और अनुदान सरकार से मिला था। अब इस बस्ती में सभी के मकान बन चुके हैं। यहां के निवासी 60 वर्षीय रामजी लाल दिल्ली से अपने कारोबार का सामान लेकर लौटे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि उनका पक्का मकान कभी होगा। इसके अतिरिक्त उनको स्टेट बैंक से अपने काम के लिए 500 रुपये का ऋण मिल गया। रामजी लाल गुड़गांव में मुख्य डाकघर के सामने जूतों की मरम्मत का काम करते हैं। उनके अनुसार उनकी आय अब 20–25 रुपये प्रतिदिन है। राज्य में 2 लाख 13 हजार से अधिक प्लाट मकानों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं।

हरियाणा में हरिजनों की संख्या लगभग 3.21 लाख है। वर्ष 1980–81 के दौरान हरिजनों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विभिन्न योजनाओं पर 28.98 करोड़ रुपये व्यय हुए और 1981–82 के दौरान इस क्षेत्र में 35.57 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

पिपलहेड़ा का पुनर्जन्म

हरिजनों की भलाई के देशभर में जो काम हो रहे हैं उनकी एक आशाप्रद झलक मिलती है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से 15 किलोमीटर दूर पिपलहेड़ा गांव में नव निर्मित हरिजन बस्ती से। इस बस्ती के निर्माण का कार्य राज्य सरकार और एक राष्ट्रीयकृत बैंक, सिण्डीकेट बैंक के संयुक्त प्रयास से दिसम्बर, 1980 में शुरू हुआ था और अप्रैल, 1981 में मकान उनके वर्तमान निवासियों को सौंप दिए गए। यहां के 54 हरिजन मकानों में से प्रत्येक के लिए 100 वर्ग गज का भूखंड और 2000 रुपये अनुदान राज्य सरकार ने दिया और 500 रुपये का ऋण सिंडीकेट बैंक ने दिया है। यहां के एक निवासी श्याम सिंह की वृद्धा मां भागवती की आंखों में बीते दिनों की याद से आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि पिपलहेड़ा गांव के एक कोने में उनकी झोपड़ी थी और चार बच्चे थे। हर बरसात में झोपड़ी गिर जाती थी और उसको खड़ा करना पड़ता था। कमाई के नाम पर खेतों पर पूरे दिन मजदूरी और बदले में 2–4 रुपये या थोड़ा सा अनाज। भागवती ने कहा कि पक्का मकान भी कभी अपना होगा यह तो सपने की बात थी लेकिन सपना सच हो गया। हरिजनों का जीवन बिल्कुल बदल गया है।

इसी बस्ती में एक पंचायत घर भी है जिसमें रखे टेलीविजन सेट पर प्रतिदिन शाम को स्त्री-पुरुष व बच्चे कार्यक्रम देखने जमा होते हैं। बच्चों के लिए पार्क भी है जिसमें खेलकूद की सुविधाएं हैं। सभी 54 मकानों में बिजली है। केवल मकान से पेट नहीं पाला जा सकता। अतः सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को थोड़ी दूरी पर मिली पौन एकड़ भूमि कृषि में 400 पौधे यूकलिपटस के लगाए गए हैं। 4–5 साल में प्रत्येक पौधा एक पेड़ हो जाएगा जिसका मूल्य 400–500 रुपये होगा। इन पेड़ों के बीच में खेती द्वारा और फसलें भी उगाई जा सकती हैं। परशादी लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन में 4–5 मन मक्का पैदा की है। इसके अतिरिक्त सिण्डीकेट बैंक के अधिकारियों ने सर्वेक्षण कर यहां के निवासियों को उनकी क्षमता के अनुसार भैंस, भैंसा बग्गी, रिक्शा आदि के लिए ऋण दिए हैं। पिपलहेड़ा का पुनर्जन्म सिण्डीकेट बैंक के लगनशील अधिकारियों की सूझबूझ और निरन्तर प्रयासों का परिणाम है।

इसी प्रकार 130 हरिजन परिवारों के लिए मकानों के निर्माण की प्रक्रिया मेरठ से 12 किलोमीटर दूर भटीपुरा और सिसौली में भी शुरू हुई है।

एक अन्य योजना के अन्तर्गत मेरठ नगर पालिका के 1200 सफाई कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सिण्डीकेट बैंक, मेरठ की केसरगंज शाखा ने उनकी क्षमता के अनुसार भैंस, सुअर पालन, साइकिल मरम्मत की दुकान और मकानों आदि के लिए ऋण दिए हैं। सफाई कर्मचारी सुबह और शाम अपनी ड्यूटी करते हैं और दिन के समय और काम करते हैं जिसके लिए उनको ऋण मिला

सत्यप्रकाश अपनी भैंस के साथ

है। ऐसे ही एक सफाई कर्मचारी सत्य प्रकाश ने 3000 रुपये के ऋण से एक भैंस खरीदी है। उनका कहना है कि भैंस का दूध बेचने से उनकी आय 10–12 रुपये प्रतिदिन बढ़ी है। उन्होंने बताया कि उनके आठ बच्चे हैं और एक लड़की की शादी हो चुकी है। बैंक मेनेजर श्री नायडू ने इस पर हंसकर कहा कि "अब तक परिवार बढ़ाया है अब बाकी जीवन में आमदनी बढ़ाओ।"

एक दूसरे सफाई कर्मचारी प्यारे लाल ने ऋण लेकर साइकिल किराए पर देने की और मरम्मत की दूकान खोल ली है। उनके साथी राधे श्याम ने सुअर पालने के लिए ऋण का उपयोग किया है।

इन सफाई कर्मचारियों में लगभग 500 ने ऋण का उपयोग मकान बनाने के लिए किया है। एक सफाई कर्मचारी दम्पत्ति मेहरचंद और उनकी पत्नी मुन्नी ने मिलकर ऋण लिया और अपना दो कमरे का पक्का मकान बना लिया है। उनका कहना था कि यदि ऋण नहीं मिलता तो मकान बन ही नहीं सकता था। क्योंकि उनके पास इतना पैसा इकट्ठा होना संभव ही नहीं था।

देश का हरिजन आबादी का एक चौथाई भाग उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980–81 में लगभग 30 करोड़ रुपये निपट गरीब वर्ग के लगभग 5 लाख परिवारों को अनुदान के रूप में दिया गया। इनमें 30 प्रतिशत हरिजन परिवार हैं। वर्ष के दौरान 12000 आवास हरिजनों और दुर्बल वर्ग के लिए बनाए गए।

हरियाणा अथवा उत्तर प्रदेश ही नहीं समस्त देश के 10 करोड़ अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इन जातियों के 52 प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं। इनमें साक्षरता का स्तर केवल 14.7 प्रतिशत है। इनके पास न तो साधन हैं न सुविधाएं जिसके कारण ये अपनी प्रगति के नए अवसर नहीं खोज पाते। देश के अत्यंत निर्धन वर्ग में हरिजनों की संख्या बहुत अधिक है। निर्धन और साधनहीन होते हुए भी देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में ये जातियां बहुत बड़े योगदान की क्षमता रखती हैं।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की श्रम शक्ति का सदुपयोग करने और उनके जीवन स्तर की गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना में उनके लिए विशेष संघटक योजना बनाई है जिस पर 600 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

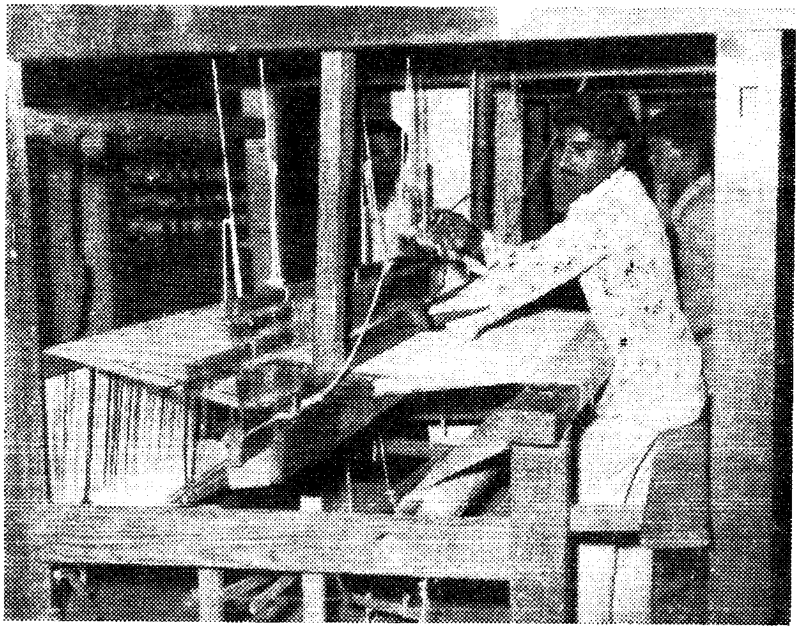

प्रशिक्षण केन्द्र में काम सीखते हुए युवक

अनुसूचित जातियों को विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त और शीघ्र वित्तीय सहायता दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में कार्यरत 17 अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 12 करोड़ रुपये की वर्ष 1980–81 में व्यवस्था की गई। इसी वर्ष में 4.71 लाख अनुसूचित जाति के और 86 हजार अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकोत्तर छात्रों को देशभर में छात्रवृत्तियां दी गई। इन पर 58.88 करोड़ रुपये व्यय हुए। अस्वच्छ व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों को मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्ति पर 31 लाख रुपये व्यय हुए।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नए धंधे में प्रशिक्षित किया जाएगा। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड योजना काल में 14 करोड़ रुपय इन जातियों के व्यक्तियों के प्रशिक्षण, उनको कच्चा माल उपलब्ध कराने और उनके द्वारा तैयार माल को बेचने की व्यवस्था पर खर्च करेगा। इसी प्रकार देश भर में अनुसूचित जाति के बुनकरों को अपने धंधे में विकास की आधुनिकीकरण के लिए 16 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जाएगी।

भारत सरकार के संस्थान आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) ने जो आवासीय योजना स्वीकृत की है उनमें निर्धन और कम आय वर्ग के लिए 87 प्रतिशत आरक्षण है। इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में हरिजनों को लाभ मिलेगा।

देश में 10,400 हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी, है। शेष हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

इन सभी योजनाओं का उद्देश्य सार्थक और बहुमुखी सहायता द्वारा देश में आधे हरिजन परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के साथ-साथ इन प्रयासों से उनमें आत्म-विश्वास जागेगा ताकि वे उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सतत सचेष्ट रहें। □

ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की आवश्यकता

✳ राकेश कुमार अग्रवाल ✳

साधन उपलब्ध होने पर उपयोग की ललक व्यक्ति को उसका प्रयोग करना स्वयं सिखा देती है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका प्रयोग उसके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। भारत जैसे विकासशील देश में अशिक्षा के लिए जहां सामाजिक वातावरण जिम्मेदार है वहीं शिक्षा साधनों की अनुपलब्धता भी कम जिम्मेदार नहीं है। भारत गांवों में बसता है परन्तु इन गांवों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं जिससे सामान्य ग्रामीण जो परम्पराओं से बंधा है शिक्षा के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाता। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दृष्टि से पर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा को लेकर भी शिक्षा प्रसार के व्यापक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। परन्तु इतने बड़े देश में ये अधूरे ही प्रतीत होते हैं।

शिक्षा के विकास में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का विशेष योगदान होता है। प्राथमिक अवस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक दोनों साधन विशेष उत्प्रेरक के रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा, जन सामान्य के ज्ञानवर्द्धन में इनकी अनूठी भूमिका होती है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप से अनेकानेक पुस्तकालय, वाचनालय और बुक बैंक चलाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका सर्वथा अभाव है जबकि गांवों में शिक्षा के प्रसार में ये अत्यधिक सहायक हो सकते हैं। भूमिका के अनुसार साधन होने पर लोग उसके प्रयोग के लिए प्रयत्नशील बनते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय तथा वाचनालय अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा-प्राप्ति के लिए ग्रामीणों को निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत बनेंगे।

पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की दृष्टि से व्यक्तियों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—शिक्षित, अर्द्ध-शिक्षित तथा निरक्षर। शिक्षित व्यक्ति पढ़, लिख तथा समझ सकता है, अर्द्ध-शिक्षित पढ़ कर समझ सकता है और निरक्षर न पढ़ सकता है, न लिख सकता है परन्तु सुन कर समझ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को तीन वर्गों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। पढ़ कर समझ लेने वाले व्यक्ति तो स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ा कर लाभान्वित हो सकते हैं। किन्तु निरक्षरता का साम्राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिखायी देता है। इसलिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से वाचनालयों की सेवा का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति में लिखे हुए अंश को सुनने की जहां अधिक चाह होती है वहीं उसको अत्यधिक सत्य मान कर उसका पालन करने का भी वह विचार करता है। इसके लिए वाचनालयों के अतिरिक्त चौपालों या अन्य एकत्रीकरण के स्थानों का उपयोग किया जा सकता है। ग्राम्य जीवन की उपयोगी पुस्तकों, पत्रिकाओं को पढ़ कर सुनाने की व्यवस्था यदि प्रतिदिन कुछ समय के लिए भी हो जाती है तो यह निरक्षर लोगों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के साथ व्यावहारिक क्षेत्र की पशुपालन, कृषि, विपणन, सहकारिता, परिवार कल्याण आदि अनेक जानकारियां देकर जागरूक बनाने में सहायक होंगी। इसमें ग्रामीणों का सच्चा हित होगा।

ग्राम पंचायत तथा अन्य ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं को इस दिशा में अधिकाधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सहकारी संघ भी इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से सरकार को भी प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना निःसंदेह उपयोगी सिद्ध होगा। विकास अधिकारी, ग्राम मुखिया तथा ग्राम सेवक की सेवाएं इस कार्य में पर्याप्त योगदान कर सकती हैं। इन पुस्तकालयों में अक्षर ज्ञान की पुस्तकों से लेकर विविध विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जो विशेष रूप से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालती हों।

अनेक क्षेत्रों में कृषक, वर्ष में काफी समय खाली रहते हैं। बेरोजगारी के कारण खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है जिस से अनेक सामाजिक दोष उभर कर सामने आते हैं। ग्रामीण पुस्तकालयों तथा वाचनालयों में उपयोग पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा कर ऐसे लोगों में परिवर्तन पैदा किया जा सकता है। जो कार्य बल से नहीं किया जा सकता उसको कुछ पृष्ठों की पोथी कर दिखाती है।

बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने में पुस्तकों की भी सराहनीय भूमिका रहती है अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने पुस्तकों के आधार पर ही अपनी जीविका कमाना सीखा। साधारणतया ग्रामवासी कृषि अथवा पशुपालन पर आश्रित होते हैं। बीज, खाद, पानी का उचित प्रयोग करके उत्तम कृषि विधि द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, वर्ष में कई फसलें लेना तथा पशुपालन के सही तरीकों की जानकारी प्राप्त करना उक्त वाचनालयों के माध्यम से अत्यन्त सरल है। महात्मा गान्धी बेरोजगारी निवारण में कुटीर उद्योगों को बहुत सहायक मानते थे। अतः इनका विस्तार जन साधारण में होना कितना आवश्यक है? जनसंख्या वृद्धि रोटी, कपड़ा और मकान सब दृष्टियों से अभिशाप सिद्ध हो रही है। सीमित परिवार की क्या उपयोगिता है? बूंद-बूंद से गागर भरती है। छोटी-2 बचतों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? साहूकार के शोषण से कैसे छुटकारा मिल सकता है? हमारे जीवन में

[शेष पृष्ठ 21 पर]

परिचर्चा

बढ़ती जनसंख्या

क्या हम लक्ष्य को पा सकेंगे ?

आयोजक--चुन्नीलाल सलूजा

फरवरी 81 में हुई राष्ट्र व्यापी जनगणना के आंकड़े देखकर सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। 1951 में हुई जनगणना के आंकड़े 36 करोड़ थे जब कि अब 68 करोड़ 38 लाख 10 हजार हो गए हैं। गत एक दशक में ही देश की जनसंख्या में 24.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हम 54 करोड़ से 68 करोड़ हो गए हैं। देश की बढ़ती हुई आबादी ने हमारी सारी विकास उपलब्धियों को निगल लिया है और चहुंमुखी प्रगति के बाद भी देश बेरोजगारी और गरीबी में ग्रसित है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के जितने भी कारण हैं उनमें प्रमुख कारण अशिक्षा है। आज भी देश में साक्षरता का प्रतिशत 36.17 है। महिलाएं जिन पर सामाजिक प्रगति का बराबरी का दायित्व है, केवल 24.88 प्रतिशत ही शिक्षित हो पाई हैं। देश में जन्मदर घटाने के लिए किए गए अथक सार्थक प्रयत्नों के बाद भी इस दिशा में हमारी प्रगति 'सौ दिन चले अढ़ाई कोस' से अधिक सिद्ध नहीं हुई है और इसलिए सन्तुलित जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में कहा जाने लगा है कि अभी दिल्ली दूर है। इस संबंध में हमारी नीतियां, सिद्धांत और कार्यों में क्या प्रगति होनी चाहिए ताकि हम लक्ष्य को (सन्तुलित जनसंख्या) प्राप्त कर सकें। जब मैं परिचर्चा के लिए विभिन्न वर्गों, सामाजिक स्तरों और विभिन्न समुदायों के लोगों से मिला तो जो कुछ सारगर्भित विचार सामने आए वे यहां प्रस्तुत हैं:--

प्रसिद्ध पत्रकार और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता दिलीप नागर का विचार है, "दरअसल देश में छोटे परिवार के सम्बन्ध में

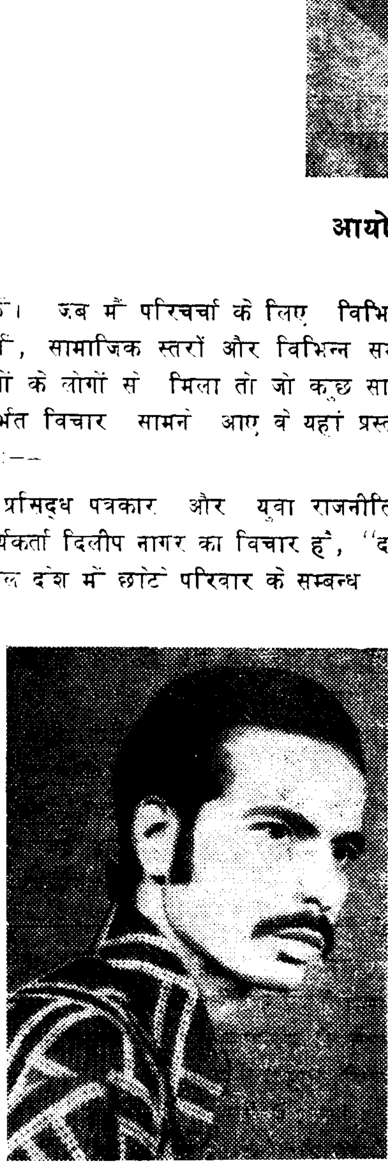

दिलीप नागर

हमें अब जागृति दिखाई देने लगी है। इस क्षेत्र में लोग अब पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं। लोग अब स्वयं इसके लाभ अनुभव करने लगे हैं। शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार इसमें सहायक सिद्ध हो रहा है। लोग स्वेच्छा से नसबन्दी कराने लगे हैं। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में पूर्ण आशावान हूं कि अगले दशक तक जनसंख्या में पूर्ण सन्तुलन स्थापित हो जाएगा। अब यह समस्या राष्ट्र की न होकर परिवार की होती जा रही है और अब कोई भी समझदार व्यक्ति घर में बच्चों की लाइन नहीं लगाना चाहता। बल्कि दो के बाद स्वयं ही अपने और बच्चों के भविष्य की चिन्ता करने लगता है और यह चिन्ता ही राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति का आधार है।"

बाबू खां जो केन्द्रीय डाकतार विभाग में सेवारत हैं और कर्मचारी संघ का सक्रिय सदस्य भी हैं, का विचार है, "अब वह जमाना लद गया जनाब जब लोग इस मजहब का रंग देकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। आनाप-शनाप प्रचार करते थे। मैंने खुद अपनी नसबन्दी कराई है... लोग खुद बखुद अपने लाभ हानि समझने लगे हैं बल्कि मैं तो दावे से कह सकता हूं कि लोग अब पहले से अधिक अपने आप इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और अब लोग अपनी गरीबी का कारण भी समझने लगे हैं। देश की गरीबी इसलिए बढ़ती है कि देश की जनसंख्या अधिक है, परिवार की गरीबी इसलिए बढ़ती है कि बच्चे ज्यादा हैं। लक्ष्य पर तो अवश्य पहुंचेंगे.... अभी तो सही मायने में शुरूआत है। जब चले हैं

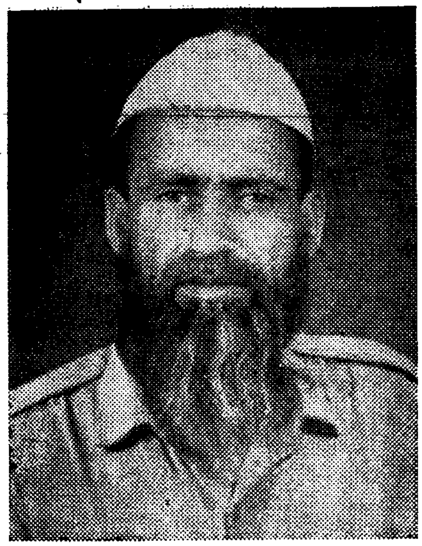

बाबू खाँ

तो पहुंच भी जाएंगे मंजिले माकसूद पर..''

दिल्ली के पुस्तक प्रकाशक श्री वीरेन्द्र-कुमार जैन का मत है कि आपात काल में हुई शुरूआत से यदि यह कार्यक्रम पांच वर्ष तक और चलता रहता तो आज आकड़े कुछ और ही होते। अभी भी 'जब जागे तब सवेरा की नीति' का अनुसरण कर युवकों को राष्ट्र व्यापी प्रचार नीति बनानी चाहिए। वास्तव में यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवा शक्ति का रचनात्मक उपयोग हो सकता है। युवकों को चाहिए कि वे परिवार कल्याण के क्षेत्र में फैली हुई भ्रान्तियों को दूर कर उन परिवारों में छोटे परिवार की महत्ता बताएं जो अभावों में पीड़ित हैं और अभी-भी अपने अभाव बढ़ा रहे हैं।''

''बड़े शहरों की क्या स्थिति है...?''

''बड़े शहरों में जहां शिक्षा का प्रकाश पहुंचा है वहां तो लोग इस दिशा में दृढ़ प्रतिज्ञ से दिखाई देते हैं। जहां तक झुग्गी-झोपड़ियों का प्रश्न है वहां ऐसी ही हालत है जैसी देश के अन्य ग्रामीण इलाकों की है। वास्तव में इन क्षेत्रों में लोगों के विचार बदलने होंगे। समाज की स्वयं-सेवी संस्थाएं इन लोगों के बीच आ कर काम करें तो सफलता अवश्य मिल सकती है..''

''कुछ भ्रान्तियां..''

''सब लोग समझने लगे हैं, इसलिए इन प्रचारकों का धन्धा मन्दा हो चला अब तो साधन जुटाने की आवश्यकता है..''

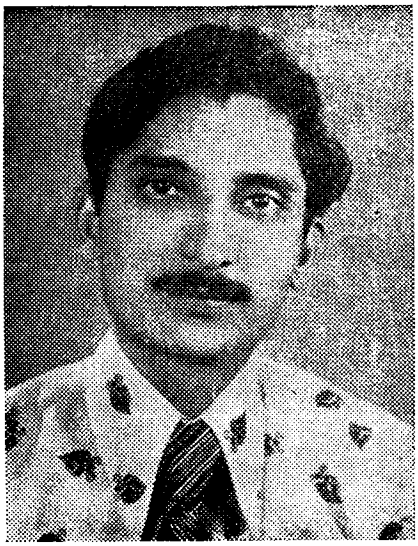

वीरेन्द्र कुमार जैन

श्रीमती वीणा सीम के आधुनिक विचारों की पढ़ी-लिखी महिला होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका विचार है कि जब हम ग्राम में पिछड़े वर्गों के लोगों के घर जा कर

श्रीमती वीणा सीम

उन्हें उज्जवल भविष्य की उपयोगिता बताती हैं तो वे समझती हैं और आचरण भी करती हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें विश्वास में लेने की आवश्यकता है। अविश्वास के कारण ही वे भयभीत रहती हैं। मुझे निजी अनुभव है कि उन्हें विश्वास में लें फिर देखें आपकी बातों पर वे विश्वास क्यों नहीं करतीं। अवश्य करेंगी। परिवार नियोजन अपना कर वे सदैव आपकी ऋणी रहेंगी...मुझे इस सम्बन्ध में पूरा विश्वास है कि लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे..''

जिन्हें अपने प्रयत्नों में विश्वास है, वे आज भी आश्वस्त हैं कि देश की समुचित उन्नति का आधार सन्तुलित जनसंख्या है और सन्तुलित जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जन्म-दर और मृत्यु-दर में बढ़ता अन्तर धीरे-धीरे अवश्य कम होगा। आज नहीं तो कल होगा।

ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की आवश्यकता

[पृष्ठ 19 का शेषांश]

अंधविश्वासों व रूढ़ियों की क्या अहमियत है? आपसी झगड़ों का क्या परिणाम होता है? शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? कुसंगति का कितना कुप्रभाव होता है? संगठन में कितनी शक्ति है? आदि प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त समाधान के साथ उक्त पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के माध्यम से स्वतः ही मिल जाएंगे। यही नहीं, एक नई दिशा ग्राम्य समाज को प्राप्त होगी। पंचायतों के कार्य में भी ये पुस्तकालय अभूतपूर्व सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिए सहकारी शिक्षा का प्रसार इनके माध्यम से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

साधारणतया सामान्य ग्रामीण देश-विदेश की गति विधियों से कटा हुआ रहता है। इसका कारण यह नहीं कि वह इसमें रुचि नहीं रखता। यदि गांव में एक भी रेडियो है तो वह सबके आकर्षण का केन्द्र बना रहता है। विशेष रूप से उपयोगी कार्यक्रमों तथा आपातकाल के समय। साधनों के अभाव के कारण लोगों का देश-विदेश की गति विधियों के प्रति उदासीन बन जाना स्वभाविक भी है। अतः सामान्य ग्रामीण को भी परिवार समाज तथा राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाने के लिए ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करना दूरदर्शी कदम होगा। □

राष्ट्रीय कौटुम्बिक भावना की पोषक भाषा

विश्वंभर प्रसाद 'गुप्त-बन्धु'

हमारी राष्ट्रीय कौटुम्बिक भावना के पोषण में बहुत ही महत्व-पूर्ण योग है भाषा का। जब हम एक दिन में ही नहीं, कुछ घंटों में ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, तो हमें परस्पर संपर्क करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु भाषा (यानी बोली) तो हर पन्द्रह कोस (यानी पचास-साठ किलोमीटर) बाद बदल जाती है। फिर सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर तक यात्रा करने वाले लोगों का काम कैसे चले? कौटुम्बिक भावना का प्रसार बिना आपस में बोले-चाले तो हो नहीं सकता।

उद्देश्य-पूर्ति में सहायक राष्ट्र-भाषा

सदियों से यह काम हिन्दी करती आई है। जब आवागमन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तब भी लोग सुदूर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक यात्राएं करते थे। उस समय हिन्दी बोलकर ही वे अपना काम चलाते थे। आज भी जब हम रेल में बैठकर कुछ ही घंटे बाद अपने को कई सौ किलोमीटर दूर पाते हैं, तब सम्पर्क के लिए किसी उपयुक्त भाषा की आवश्यकता अनुभव करते हैं। हमारी यह आवश्यकता आज भी हिन्दी पूरी करती है। देश के आधे से अधिक लोग हिन्दी बोलते-समझते हैं। इसीलिए यह राष्ट्र की भाषा है; और राष्ट्र भाषा का महत्व हम प्रतिदिन अधिकाधिक अनुभव करते जाते हैं। जैसे-जैसे देश की प्रगति होती है। विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग बढ़ता है, वैसे-वैसे ही एक राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता प्रबल होती जाती है। यह राष्ट्र-भाषा हिन्दी ही हमारी राष्ट्रीय कौटुम्बिक भावना पुष्ट करती है।

हिन्दी की अखिल-भारतीयता

हिन्दी अत्यंत परिष्कृत और वैज्ञानिक भाषा है, और इसकी लिपि 'देवनागरी' संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यह अत्यन्त सरल, सुनम्य और बोधगम्य भी है। इसकी क्षमता असीम है, यानी यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और जटिल से जटिल विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है। हिन्दी का सहज माधुर्य और अर्थ-गाम्भीर्य आश्चर्यजनक है। और विश्व के प्रमुख भाषा-वैज्ञानिकों के अनुसार संसार की अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। हिन्दी की अखिल-भारतीयता का यह भी एक कारण है।

हिन्दी में यह सामर्थ्य सदियों से देश भर के मनीषी और सभी धर्मों-मतों के पोषक भरते रहे हैं। इसी सामर्थ्य के बल पर यह अनेक विदेशी भाषाओं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आदि से टक्कर लेती आई है। दसवीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने; तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्यों अमीर खुसरो तथा बाबा फरीद शकर गंज ने; तदनन्तर तानसेन, रसखान और कवियित्री 'ताज' ने; स्वामी हरिदास, बल्लभ सम्प्रदाय के गायकों सूरदास, कुम्भनदास और छीत स्वामी ने; गंगोटी, शेख फरीद और रहीम ने; तुलसी, मीरा और जायसी ने; महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव ने; छत्रपति शिवाजी के पुत्र सम्भाजी और महाकवि भूषण ने; सिक्ख धर्म के दसों गुरुओं ने; महाराजा रणजीत सिंह के तथा मुहम्मद तुगलक के दरबारी कवियों ने हिन्दी का आश्रय लेकर अपनी-अपनी वाणी और लेखनी सफल की, समर्थ की, और पवित्र की है; और हिन्दी को अखिल भारतीयता प्रदान की है।

अठारहवीं शताब्दी में हैदराबाद के कवि अहमदुल्ला; औरंगजेब के दरबार के कवि मतिराम, वृंद, कृष्ण सामंत आदि, राजस्थान के संत कवि सुन्दर दास, रज्जब आदि; बिहार के समर्थ कवि बोधा, त्रावनकोर के नरेश स्वाति तिरुनाल; गुजरात के प्रेमानन्द, ओरवा, नरसैया आदि सभी हिन्दी पर मुग्ध थे। आधुनिक काल में भी महर्षि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, तिलक, सुभाष और महात्मा गांधी आदि ने स्वतन्त्रता संग्राम की ज्योति हिन्दी के माध्यम से ही जगाई। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तो 'भानु कवि' के नाम से हिन्दी में कविता करके अपने को धन्य मानते थे।

हिन्दी की इस अखिल भारतीयता के कारण ही स्वतंत्रता के उपरान्त सारे देश के मनीषियों ने एकमत होकर इसे राष्ट्र-भाषा बनाया। संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान रखने वाली हमारी राष्ट्र-भाषा हिन्दी राष्ट्र-गगन की वह दिव्य ज्योति है जिसके बिना सारा राष्ट्र अन्धतम गहराइयों में डूब जाए और विश्व के मानचित्र पर भारत कहीं दिखाई भी न दे।

अंग्रेजो का कुचक्र

राष्ट्र-भाषा हिन्दी में सभी प्रकार का काम, तकनीकी व्यावसायिक और प्रशासनिक काम भी, बखूबी हो सकता है; बल्कि होता रहा है, और हो रहा है। फिर भी इधर कुछ लोगों ने आवाज उठाई है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी अगर अंग्रेजी बनी रह गई है, तो इसे भारतीय भाषा मानकर राष्ट्र-भाषा का पद दे दिया जाए। किन्तु यह किसी से छिपा नहीं है कि इस देश में अंग्रेजी जानने वाले केवल डेढ़-दो प्रतिशत लोग हैं, और ठीक-ठीक बोलने समझने वाले तो उंगलियों में ही गिने जा सकते हैं। अतः यदि हम अपने लोक-कल्याणकारी गणतन्त्र में देश की दृष्टि से, यानी अट्ठानवे प्रतिशत लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी का वर्चस्व तुरन्त समाप्त करना होगा। जापान द्वितीय विश्व-युद्ध में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था; किन्तु प्रगति की दौड़ में वह भारत से कहीं आगे निकल गया है। उसने पश्चिम के अनुभव का लाभ अवश्य उठाया, किन्तु अपनी भाषा नहीं छोड़ी। अपने हजारों वैज्ञानिकों, किसानों मजदूरों को उसने अपनी ही भाषा में सारा ज्ञान उपलब्ध कराया—विदेशी भाषा में उपलब्ध ज्ञान भी उसने जापानी में अनुवाद कराकर उन्हें पहुंचाया। अगर भारत की तरह जापान भी अपने नागरिकों पर अनिवार्य जर्मन या अंग्रेजी थोप देता, तो वह आज इतनी प्रगति न कर पाता। वैज्ञानिकों की जो शक्ति प्रयोगों में लगी, एक विदेशी भाषा रटने में खर्च हो जाती, जैसा भारत में हुआ। यानी अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण प्रगति बहुत मन्द रही।

अंग्रेजो से राष्ट्र का भारी अहित

वास्तव में भारत में अंग्रेजी बनी रहने से राष्ट्र का हित कम, अहित ही अधिक हुआ है। विस्तार की आवश्यकता नहीं है; कुछ मुख्य बातें सूत्र रूप में गिना देना ही पर्याप्त होगा क्योंकि सभी तथ्य स्वयं सिद्ध और स्वतः स्पष्ट हैं :—

1. अंग्रेजी ने सभी भारतीय भाषाओं को दबा रखा है और उनकी प्रगति में बाधक है।
2. अंग्रेजी पढ़ने में बालकों के सात-आठ मूल्यवान वर्ष व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं और वह प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं।
3. अंग्रेजी के कारण बालकों की प्रतिभा कुंठित होती है, उनके मस्तिष्क का विकास रुक जाता है और वे बौधिक दृष्टि से बौने रह जाते हैं।
4. कुछ भी सीखने में एक समस्या होती है विषय समझने की; किन्तु उसके साथ भाषा समझने की भी समस्या जोड़ देने से दो ही नहीं, और भी कई समस्याएं सीखने वाले के सामने आती हैं; जैसे वह न विषय को समझ पाता है, न उस पर अपने स्वतंत्र विचार ही व्यक्त कर पाता है।
5. भारत में अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार आंग्ल-अमेरिकी चिन्तन से प्रेरित है जो भारतीय प्रभुसत्ता के लिए एक खतरा है।
6. अंग्रेजी भारतीय संस्कृति, भातीय परिवेश और भारतीय परम्पराओं के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है।
7. दो सौ साल के अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी की जड़ भारत में नहीं जम सकी, तो उसे अब जमाने का प्रयत्न करना राष्ट्रीय शक्ति की बरबादी है।
8. अंग्रेजी शोषण की भाषा है; यह अवैज्ञानिक और अनम्य, दुरूह और दुराग्रही है।
9. आक्रान्ताओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए भारत पर लादी गई अंग्रेजी भाषा की अब देश में कोई उपयोगिता नहीं है, सिवाय पुस्तकालय की भाषा के रूप में।
10. अंग्रेजी के बल पर चन्द लोग अट्ठानवे प्रतिशत को दबाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
11. अंग्रेजी ने हमें कूप-मंडूक बना छोड़ा है, और हम संसार को केवल उसी रूप में देख पाते हैं जिस रूप में वह आंग्ल-अमेरिकी चश्मे से हमें दिखता है।

अंग्रेजी जन-कल्याण में बाधक

जन-कल्याण में जो भी योजना असफल हुई, मूल रूप से इसी कारण कि वह अंग्रेजी की गाड़ी में लादकर चलाई गई जो भारत की धरती पर चल नहीं सकी। चल ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें विदेशीपन था, वह अपनापन नहीं जिसकी ओर जन-सहयोग बरबस आकर्षित होता। श्वेत क्रांति का कितना ढोल पीटा गया; किन्तु बच्चे आज भी दूध के लिए उसी तरह तरस रहे हैं। बड़े-बड़े भारी-भरकम बोर्ड और आयोग बाढ़-नियंत्रण और नदी जल-व्यवस्था के लिए बने। लेकिन वर्षा के बादल देखकर लोगों के मन मयूर नाचने नहीं, बल्कि प्रलयंकारी बाढ़ों की आशंका से भयग्रस्त होकर कांपने ही लगते हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

असफलता का कारण स्पष्ट है। लोकप्रिय सरकारें लोक-कल्याण की भावना से योजनाएं बनाती हैं, किन्तु अंग्रेजी-परस्त अधिकारियों के हाथों पड़कर वे योजनाएं अलोकप्रिय हो जाती हैं। अंग्रेजी परस्त अधिकारियों पर जनता का विश्वास नहीं जमता। जमे भी कैसे ? अंग्रेजी के माध्यम से होने वाला काम देश की अट्ठानवे प्रतिशत जनता को संतुष्ट करने के लिए तो होता नहीं, वह तो केवल उन कुछ अंग्रेजीवादी लोगों को (जो एक प्रतिशत से भी कम होंगे) संतुष्ट करने के लिए होता है जो अपने आंग्ल-अमेरिकी सूत्रधारों की ताल पर नृत्य करते हैं और अपनी चतुराई से दिखाते यह हैं कि वे भारत के हित में ही बोलते-सोचते हैं।

भाषायी परावलंबन बुरा से बुरी बुराई

मात्र एक-दो प्रतिशत अंग्रेजी परस्त व्यक्ति धुआंधार मिथ्या प्रचार करके भारत में अनंत काल तक अंग्रेजी बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी अपने-आप ओढ़ी हुई श्रेष्ठता की चादर उड़ न जाए और उनके वर्ग का वर्चस्व समाप्त न हो जाए। आंग्ल-अमेरिकी विचारों से अभिभूत यह वर्ग भारतीयता को हीन दृष्टि से देखता है और हिन्दी को बहिष्कृत करके अंग्रेजी को ही राष्ट्र-भाषा बनाना चाहता है। शासन में घर करके

यह वर्ग देश, यानी अट्ठानबे प्रतिशत लोगों का शोषण करने और उनपर राज करने के लिए अंग्रेजी का पल्ला नहीं छोड़ पाता । मारीशस के विद्वान अभिमन्यु अनत के शब्दों में अंग्रेजी का मोह मात्र हिन्दी का बहिष्कार नहीं है; यह गांधी, नेहरू, ठाकुर तथा पूरी भारतीय मानसिकता की अवहेलना है; भारतीय अस्मिता, अंदरूनी शक्ति और गरिमा की नीलामी है ।

किन्तु भाषा का मामला कोई मामूली बात नहीं । यह किसी व्यक्ति के नहीं, सारे राष्ट्र के जीवन-मरण का बल्कि उसके अस्तित्व का ही प्रश्न है । जातियां कभी जिस्मानी आक्रमणों से नष्ट नहीं हुआ करती; उनका सर्वनाश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पराजय से ही संभव होता है । इसीलिए मेकाले ने अंग्रेजी की बिष-बेल भारत में बोई थी, जिसे उसी के समकालीन हागसन ने भारतीयों की सांस्कृतिक हत्या करने जैसा कहा था । वास्तव में जिस राष्ट्र की, अपनी भाषा नहीं, उसकी संस्कृति कायम नहीं रह सकती, और वह सही मानों में राष्ट्र भी नहीं कहा जा सकता । वह तो केवल कठपुतली बनकर रह जाता है, किसी ऐसे सूत्रधार राष्ट्र की, जिसकी भाषा वह बोलता है, और जिसका खेल खतम होने पर उसकी झोली में पड़ जाता है ।

हम नहीं चाहते कि भारत फिर किसी की झोली में पड़े । हम यह भी नहीं चाहते कि कोई स्वार्थी वर्ग इंजीनियरी या तकनीकी काम की आड़ लेकर देश में अंग्रेजी बनाए रखने का कुचक्र रचे । इसलिए अंग्रेजी के ऊपर निर्भर रहना हम जितनी जल्दी छोड़ दें, उतना ही अच्छा है । हमारा भाषायी परावलंबन बुरी से बुरी बुराई है जिसका उपचार तुरन्त होना चाहिए। अपने सभी कार्यों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना ही इसका एक मात्र प्रभावी उपचार है । □

एफ आई ई (इंडिया), विशारद (द्विक) आनरेरी तकनीकी संपादक (हिन्दी), इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया), 902, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

कृषि विकास में बिजली का महत्व

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में इसका आधा योग रहता है । जनसंख्या अधिक होने के कारण भारतीय कृषि में अनाज उत्पादन को पहला स्थान दिया गया है और अन्य फसलों को दूसरा ।

पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने को काफी महत्व दिया जाता रहा है और इसके लिए विभिन्न कारगर नीतियां अपनाई जाती रही हैं । कृषि उत्पादन में मजबूती लाने के लिए बिजली के इस्तेमाल से पम्प सैट लगाने का बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया गया । इसके फलस्वरूप देश में कुल कृषि क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई होने वाले क्षेत्र का अनुपात काफी बढ़ा है ।

जमीन के नीचे पानी के साधनों का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसके लिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ी, विशेषकर बिजली की मांग बढ़ी है । आज भारत की कृषि काफी हद तक बिजली की सप्लाई पर निर्भर हो गई है । 1960–70 के दशक के मध्य में कई बार सूखा पड़ने के बाद जमीन के नीचे के पानी के साधनों का महत्व स्वीकार किया गया और उन साधनों के इस्तेमाल की योजना बननी शुरू हुई । तब से देश में बिजली और डीजल से चलने वाले पम्प सैटों के इस्तेमाल से जमीन के नीचे से पानी निकालने का क्रम जारी है ।

पम्पसैटों के लिए बिजली की ऊर्जा की प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि बिजली से चलने वाले पम्प आसानी से चलाए जा सकते हैं और किफायती भी होते हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में भी पम्पसैटों को बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है और यही कारण है कि आज देश में बिजली से चलने वाले पम्पसैटों की भरमार है । 1965–66 में देश में ऐसे 5 लाख 13 हजार पम्पसैट थे, जबकि मार्च, 1981 में इनकी संख्या बढ़कर 43 लाख 30 हजार हो गई । उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है । उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में तथा पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खेती के लिए पम्पसैटों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है ।

1960–70 के दशक में पम्पसैटों को बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है और इस दशक के मध्य से खेतों के काम में बिजली के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है । 1965–66 में कृषि क्षेत्र में 189.2 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था और बिजली की कुल खपत में इसका हिस्सा 7.1 प्रतिशत था । वर्ष 1979–80 में खती में बिजली की खपत बढ़कर 1318.9 करोड़ किलोवाट घंटे हो गई और बिजली की कुल खपत में इसका हिस्सा बढ़कर

16.9 प्रतिशत हो गया। उत्तरी क्षेत्र में इस खपत में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। पंजाब में खेती में बिजली की खपत कुल खपत का करीब 46 प्रतिशत है।

उत्तरी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रति पम्पसैट बिजली की खपत काफी अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि सारे देश में खेती में बिजली की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तरी क्षेत्र में यह खेती का प्रमुख अंग बन गया है और कृषि का उत्पादन काफी हद तक बिजली पर निर्भर करता है।

छठी योजना में खेती में पम्पसैटों के लिए बिजली पहुंचाने के काम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अनुमान है कि सारे देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जमीन के नीचे पानी से ही सिंचाई हो सकती है।

उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश, में ऐसे जल साधनों के विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। छठी योजना में इन राज्यों में पम्पसैटों के लिए बिजली के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जमीन के नीचे उपलब्ध जल स्रोतों के इस्तेमाल के लिए देश भर में एक करोड़ 20 लाख पम्पसैट लगाए जा सकते हैं। योजना के शुरू में 40 लाख पम्पसैट बिजली से चल रहे थे और इस योजनावधि में 25 लाख और पम्पसैटों को बिजली देने का कार्यक्रम है।

उत्तरी क्षेत्र में खेती में बिजली की खपत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। 1984-85 में जितनी बिजली उपलब्ध होगी उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा और बढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार कृषि के क्षेत्र में बिजली की भूमिका आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होती जाएगी और खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिजली की बड़ी आवश्यकता होगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण

वर्ष 1950 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पूंजी नियोजन का मुख्य उद्देश्य गांवों के लोगों की सुविधा के लिए बिजली पहुंचाना था। लेकिन 1960-70 के मध्य में खेती की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पम्पसटों को बिजली देने पर विशष ध्यान दिया गया। 1966-67 से पम्पसैटों को बिजली देने का कार्यक्रम तेजी से चलाया गया और शुरू के पांच वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पसैटों को बिजली देने के कार्यक्रमों पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह पूंजी नियोजन पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुए कुल पूंजी नियोजन से अधिक है। पांचवों योजना के दौरान गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम पर और ज्यादा धन खर्च किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों पर योजनावार पूंजी निवेश इस प्रकार रहा है:—

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	बिजली क्षेत्र में पूंजी	ग्रामीण विद्युतीकरण में पूंजी	बिजली क्षेत्र में कुल पूंजी का प्रतिशत
1	2	3	4
1951-56	260	8	3.07
1956-61	460	75	16.30
1961-66	1252	153	12.22
1966-69	1209	237	19.60
1969-74	2932	819*	27.93
1974-78	5244	842**	14.66
1978-80	4340	530	12.20
1980-85	19265	1576	8.18

*इसमें वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त 202 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

**इसमें वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त 99 करोड़ रुपये शामिल हैं।

पहली तीन योजनाओं में गांवों में बिजली पहुंचाने और पम्पसैटों को बिजली देने का दायित्व राज्य बिजली बोर्ड पर था। केन्द्र सरकार राज्यों को कुछ सहायता देती है। बाद में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य गांवों में बिजली पहुंचाने के काम को तेज करना और राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना था।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम गांवों में बिजली पहुंचाने के काम को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब इन योजनाओं के लिए केन्द्र से काफी मात्रा में धन मिल रहा है। इस निगम ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों के समग्र विकास में भी काफी योग दिया है। अपनी स्थापना के समय से लेकर, 30 जून, 1981 तक यह निगम 4575 योजनाएं मंजूर कर चुका था जिन पर 1503 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और जिससे 2 लाख 2 हजार अतिरिक्त गांवों को बिजली पहुंचाई गई। इन योजनाओं से 16 लाख 72 हजार अतिरिक्त पम्पसैटों को बिजली मिली और गांवों में छोटे उद्योगों को भी बिजली मिलने लगी। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम, व्यापारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और कृषि वित्त निगम जैसी संस्थाओं से भी धन मिलता है। □

पहला सुख निरोगी काया

पौरुष ग्रंथी (प्रोस्टेट) की सूजन अथवा बढ़ने का होमियोपैथिक इलाज

डा० बी० पी० मिश्र

हमारे शरीर की अनेक ग्रंथियों में से पौरुष ग्रंथि ही ऐसी ग्रंथि है जो पुरुषों में ही पाई जाती है। बुढ़ापे की अवस्था आने पर यह ग्रंथि कुछ कारणों से अपने स्वाभाविक आकार से बड़ी हो जाती है। इसके कारण कुछ कष्ट होने लगते हैं। बारबार पेशाब करने जाना होता है। पेशाब में रुकावट होने लगती है। अधिकतर रात में कई बार पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी-कभी पेशाब में जलन भी होती है। इन लक्षणों के होते ही समझ लेना चाहिए कि पौरुष ग्रंथि में खराबी आ रही है। नीचे लिखी औषधियों का उनके लक्षणों के अनुसार सेवन करना चाहिए ताकि शल्य चिकित्सा (आपरेशन) से बचा जा सके।

1. सबल सेरुलेटा (मूल अर्क) : अर्क की पांच बूंदें थोड़े जल में मिलाकर दो दफा रोज। पेशाब के लिए रोज रात को बार-बार जाना। पेशाब की मात्रा कम। जलन बिल्कुल नहीं।

2. चिमेफिला (मूल अर्क) : ऊपर की मात्रा में पेशाब करते समय जलन।

3. कोनायम मैक–30 : पेशाब करने में कष्ट। पेशाब रुक-रुक कर आता है। थोड़ी देर रुक कर पुनः आता है।

4. थूजा–30, 200 : सूजाक की बीमारी की जिन मरीजों को शिकायत रही हो। इसके कारण भी यह ग्रंथि बढ़ जाती है। पहले कुछ दिनों तक 30 शक्ति। फिर 200 शक्ति सप्ताह में दो बार। □

डी-770, मंदिर मार्ग
गोल मार्किट, नई दिल्ली-1

औषध गुणों से भरपूर अदरक एवं सौंठ

वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहू

अदरक और सोंठ यह ऐसी वस्तुएं हैं जो हरेक घर में हर समय उपलब्ध रहती हैं। प्रायः भोजन में नित्य प्रति हम इसे मसाले के रूप में काम में लाते हैं। पर यह एक गुणकारी औषध भी है, इसको हम विभिन्न प्रकार से विभिन्न रोगों में प्रयोग करके अपने आपको रोगमुक्त कर सकते हैं। यथा :—

1. ज्वर में अदरक के रस का प्रयोग

ज्वर एक ऐसी बीमारी है जोकि आहार-विहार में थोड़ी सी भी गड़बड़ी से हो जाती है। चाहे वह किसी भी तरह का बुखार हो—अदरक के रस को एक चम्मच लेकर उसमें थोड़ा मधु मिलाकर सुबह-शाम 2–3 बार पिला दें तो प्रायः सभी प्रकार का ज्वर दूर हो जाता है।

2. उदर शूल

आजकल खाने-पीने की चीजों में मिलावट एक आम बात हो गई है। शुद्ध रूप में खाने की चीजें मिलना कठिन ही नहीं दुर्लभ हो गया है। अतः इन मिलावट वाली चीजों को खाने से अक्सर उदर शूल अर्थात् पेट में दर्द हो जाया करता है। अतः इस अवस्था में सोंठ को चूरन के रूप में आधे से एक चम्मच की मात्रा में गरम पानी से खाते ही उस गंदी खाने की चीजों का पाचन हो जाता है। अतः उससे उत्पन्न हुआ उदर शूल अर्थात् पेट दर्द अपने आप ही शांत हो जाता है।

3. खांसी एवं दमा

खांसी एवं दमा में अदरक एवं सोंठ को हम कई तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है इसका चाय में प्रयोग। चाय पीना अब एक रोजमर्रा की बात हो गई है। अतः चाय पत्ती के साथ थोड़ा सा अदरक या सोंठ को कूटकर उसमें मिला दें तो यह अदरक से बनी चाय खांसी और दमे के मरीज को बहुत आराम दिलाती है। वैसे अदरक की एक चटनी जिसे 'आर्द्रकावलेह' भी कहते हैं सुबह शाम एक से दो चम्मच गरम दूध से लेने पर नया एवं पुराना दोनों तरह का खांसी दमा जड़ से दूर हो जाता है। खांसी एवं दमे में अदरक को छीलकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर चूसने से गले की खराबी से उत्पन्न हुआ खांसी दमा तुरन्त ठीक हो जाता है।

4. आमवात

आमवात जिसमें शरीर के बड़े-बड़े जोड़ों में सूजन हो जाती है तथा रोगी

को चलने-फिरने में दर्द होता हो तो ऐसी अवस्था में इसको पानी में पीसकर गरम लेप बना लें और फिर इस गरम लेप को आमवात वाले सूजन पर लगाएं। दो-चार दिन तक दो-चार बार प्रतिदिन लगाने से आमवात की सूजन दूर हो जाती है तथा रोगी का दर्द भी दूर हो जाता है।

5. शैत्य एवं अवसाद

जिसे आम बोल-चाल की भाषा में शरीर के अंगों का सो जाना कहते हैं उसमें भी इसका प्रयोग लाभकारी है। ऐसी अवस्था में सोंठ के चूर्ण को तेल में मिलाकर नित्य प्रति मालिश करने से शरीर का शैत्य एवं अवसाद अर्थात् सो जाना दूर हो जाता है।

6. शोथ

शरीर के किसी भी भाग में खासकर कफ जन्य शोथ में—सोंठ के चूर्ण को उस शोथ वाले स्थान पर रगड़ने से ही वहां की सूजन दूर हो जाती है।

7. वातविकार

आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात विकारों का वर्णन है। यथा :—आमवात, संधिवात, पक्षाघात, गृधसी आदि। इनमें से किसी प्रकार के वात विकार में यदि नियमपूर्वक सोंठ का काढ़ा बनाकर प्रयोग में लाएं तो सब प्रकार का वात रोग दूर हो जाता है। खासकर 'रास्नादि क्वाथ' एक ऐसा योग है जिसमें सोंठ के साथ रास्ना आदि कुछ अन्य द्रव्यों को डालकर काढ़ा बनाते हैं। यह 'रास्नादिक्वाथ' सभी तरह के वात विकार को दूर करता है।

8. प्रसूत रोग

स्त्रियों को बच्चा होने के बाद यदि सोंठ का चूर्ण एक बड़ा चम्मच, गुड़ एक बड़ा चम्मच तथा देशी घी एक बड़ा चम्मच सुबह, शाम खिलाकर ऊपर से गरम दूध पिला दिया जाए तो बच्चा होने के बाद की सभी तरह की तकलीफ दूर होकर स्त्री का बल वर्ण निखर आता है। सोंठ की इसी तरह की एक औषध बनी बनाई 'सौभाग्यशुंठी' पाक है। जिसमें सोंठ ही प्रधान औषध होती है बहुत गुणकारी है।

9. अरुचि

आजकल लोगों को प्रायः भूख नहीं लगने की शिकायत होती है। ऐसी अवस्था में नित्य प्रति भोजन से पूर्व अदरक और नमक को खाने का नियम बनाने से उनकी अरुचि सदा के लिए दूर हो जाती है। □

तमसो मा ज्योतिर्गमय

बसुधा का कण-कण प्रमुदित हो,
ज्ञान तथा विज्ञान उदित हो,
बने व्यवस्था ऐसी भू पर—
जिसमें जन कल्याण निहित हो,

क्षत-विक्षत हो महिमण्डल पर—
विस्तृत जो अज्ञान-अनय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।।

प्रेम-दया की ज्योति जगे,
द्वेष-ईर्ष्या दूर भगे,
हिंसा का हो सर्वनाश अब—
मानव, मानव को न ठगे,

तिमिर नष्ट हो भूमण्डल का—
मानव उर हो ज्योतिर्मय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।

सुख-समृद्धि सफलता छाए,
कण-कण में समरसता आए,
युग का बने प्रवर्तन ऐसा—
जन-जन में नवजीवन आए,

फैले आर्ष विचार धरा पर—
गूंज उठे संगीत मधुरमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।।

राधेश्याम "आर्य"

ग्रामीणों के स्वस्थ रहने का नुस्खा

राम रत्न पोपली

आज हम देखते हैं कि भारत की ग्रामीण जनता में नागरिक जीवन बिताने की कामना बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि देहातों में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य केन्द्र और रोजगार की कमी दिखाई देती है। गांधी जी अपने उच्च और तत्वपूर्ण आदर्शों का साकार रूप अपने देश में देखने के लिए भारत के प्रत्येक गांव को सब प्रकार स्वावलम्बी बनाने में हमेशा ही अभिरत रहे परन्तु स्वराज्य प्राप्त होने के बाद वह केवल साढे–पांच मास ही जीवित रहे। परन्तु उनके निधन के बाद लोग उनका रास्ता भूल गए । मायावाद-स्वार्थवाद-भौतिक सुख-सामग्री की कामनाएं, विदेशी शिक्षा-परिधान-भाषा-उद्योग धंधे आदि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजीपन का प्रभुत्व सूर्य की तरह स्पष्ट हो गया। इस उल्टी विचार-धारा के फलस्वरूप बड़े-बड़े अस्पताल, मेडिकल कालेज, अनेक विश्वविद्यालय, बड़े बड़े कारखाने, तथा अनुसंधान केन्द्र खुले, परन्तु देश में बीमारी सीमा पार कर गई, इलाज के खर्चे बहुत बढ़ गए। धर्म और सेवा का स्थान पाखंड, दिखावे और पाप ने ले लिया, स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग नौकरियों की तलाश में पागलों की तरह सब तरफ चक्कर काटने लगा, आचार और चरित्र का स्तर बिल्कुल गिर गया और प्रत्येक व्यवसाय में मिलावट, लूटमार, मुनाफाखोरी, झूठ का तूफान आ गया। संयम-ब्रह्मचर्य समाप्त हो कर जनसंख्या बढ़ी। खाने-पीने में विदेशी मनोवृत्ति के कारण चाय-काफी, बीड़ी-सिगरेट, कैम्पाकोला, जमे तेल, बियर-शराब, मैदे की डबल रोटी, बिस्कुट रंगीन मिठाइयां, चाट-गोल गप्पे, अनेक प्रकार के मादक पदार्थ और तेल दवाइयों के कारण जन साधारण का स्वास्थ्य गिर गया । गांधीवादियों का सम्मान समाप्त हो गया। महानगरों की जलवायु दूषित हुई। स्वास्थ्य के नियम की जानकारी समाप्त हो कर, सब दिन-चर्या उलटी चलने लगी। भगवान कृष्ण के उपदेश के विरुद्ध उपयुक्त आहार, उपयुक्त व्यवहार, उपयक्त चेष्टाएं या कार्यक्रम, उपयुक्त जागना और बेसमय सोना इत्यादि सभी दोष बढ़े, क्योंकि जब मानव के मन पर पैसे अर्थात् धन और काम वासना का प्रभुत्व जम जाता है तब बुद्धि का नाश होकर अपना ही विनाश हो जाता है।

हमारे ग्रामवासी, महानगर वासियों के खान-पान, रहन-सहन से जो महान कष्ट और रोग पैदा हो रहे हैं उनको समझ कर नागरिक जीवन की सभी बुराइयों से दूर रहें। वही सत्य-अहिंसा और धर्म-पथ का जीवन जो हमारे पूर्वज बिता गए अर्थात् सात्विक खान-पान, मन की पवित्रता, शुद्ध आचार, धार्मिक शिक्षा ही हमारी संस्कृति के स्तम्भ हैं। वही असली खाद, चक्की का मोटा पिसा आटा, खेत की ताजा साग-सब्जी, गाय का दूध, लस्सी, मक्खन, घी, हाथ के मूसल से साफ धान का चावल, प्रात:काल का जागना, नीम-कीकर आदि की दातुन, शक्ति अनुसार व्यायाम, तेल की मालिश, नित्यघर्षण स्नान, स्वाध्याय, समय पर सात्विक भोजन को खूब चबाकर खाना, खाने के साथ पानी न पीना, संयम-ब्रह्मचर्य, मन की पवित्रता, काम में लगे रहना, गन्दे-अश्लील दृश्यों और गीतों से दूर रहना, हमेशा शतवर्षीय जीवन की कामना करना, अच्छे स्कूल बनाना, मन्दिर, जिसमें स्वास्थ्य के नियमों की शिक्षा प्रतिदिन दी जाती है प्रत्येक जगह खोलना और इसके अतिरिक्त बच्चों की रुचि किसी दस्तकारी में देखकर तदनुसार प्रबंध कराना जरूरी है। शिक्षा हमेशा धर्म-परायण, स्वास्थ्यात्मक, चरित्रात्मक, संयमात्मक होना चाहिए। बुखार या ज्वर में गिलोय या मकोय का ताजा रस पीना चाहिए। इससे मलेरिया कभी नहीं होता। नीम का वृक्ष बहुत उपयोगी है, रक्त शोधक है। इसके ताजा कुछ पत्ते चबा-कर खाने से सब रक्त विकार और ज्वर मिट जाता है। प्रत्येक सब्जी और फल में अलग-अलग रोगनाशक गुण हैं। कीकर का वृक्ष अपने जड़ की छाल, पत्तों के रस से सभी गरमी के रोगों (खून जो किसी भी रास्ते से निकलता हो अर्थात् दांत, मुख, नाक, पेशाब, शौच, योनि-द्वार) का प्रभावी इलाज है। इसके अतिरिक्त, इसे पुरुषों के प्रमेह वीर्यदोष और स्त्रियों के सफेद पानी में दिया जाता है। करंजवे की गिरी निकाल कर 1/6 भाग भुनी हुई फिटकड़ी मिलाकर पानी के साथ पीने से या आयुर्वेद का विख्यात सुदर्शन चूर्ण खाने से मलेरिया ज्वर समाप्त हो जाता है, परन्तु ज्वर होने पर उपवास करना और गर्म पानी में नीबू का रस मिलाकर पीना लाभ-दायक होता है। इसी प्रकार अचानक हैजा होने पर प्याज का रस निकाल कर बारम्बार रोगी को पिलाना चाहिए, सूखा पुदीना उबालकर और छान कर पिलाना, अमृतधारा या कपूर का मिला जल, उबला-साफ पानी पिलाना चाहिए। ग्रामीण जनता के लिए शुद्ध-पौष्टिक आहार के साथ शुद्ध वायु बहुत ही जरूरी है। अत: प्रात: शौच के पश्चात् खुली हवा में नाक से लम्बे-लम्बे सांस लेने और छोड़ने चाहिएं अर्थात् प्राणायाम करना चाहिए। वायु को हमेशा शुद्ध रखने के लिए ग्राम का सब प्रकार का कूड़ा, गन्दा, गोबर आदि गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। शुद्ध पानी का प्रबन्ध करना जरूरी है। प्रभु ने हमारे ग्रामों में सब जरूरी सामग्री, जड़ी-बूटियों, वृक्षों, पौधों, फूलों, तरका-रियों और घास तक में हमें सुखी रखने के लिए पैदा कर रखी है। केवल उसका साधारण ज्ञान चाहिए। आज देश में मायावाद, झूठे विज्ञापन और विदेशी इलाज का तूफान आ गया है जिससे बचना आवश्यक है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन और ग्राम के चारों ओर स्वत: पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों का ज्ञान किसी जानकार से प्राप्त करना चाहिए। इस विषय की पुस्तकों और पत्रिकाओं का स्वाध्याय करके आदर्श स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए। त्रिफला, इलायची, धनिया, सोंठ, कालीमिर्च, नमक, अजवाइन, हलदी, जीरा, ब्राह्मी जैसे घरेलू द्रव्यों को समझना जरूरी है।☐

साहित्य समीक्षा

विनय पत्रिका : सम्पादक—वियोगी हरि : प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली,
पृष्ठ संख्या : 442, मूल्य : 20 रुपये ।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस और विनय पत्रिका द्वारा भारतीय संस्कृति की पताका विश्व में फैला दी । विनय पत्रिका हरितोषिणी टीका सहित का परिवर्धित संस्करण भक्ति रस पाठकों के लिए अनमोल टीका है । इसका सम्पादन प्रसिद्ध गांधीवादी वयोवृद्ध विद्वान श्री वियोगी हरि ने किया है ।

'विनय पत्रिका' की टीका प्रथम संस्करण पर 1924 में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था—"गोस्वामी जी की यह विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है । हिन्दी साहित्य में यह एक अनमोल रत्न है । यद्यपि कवितावली और गीतावली के समान 'विनय' की भाषा भी व्रज ही रखी गयी है, पर अवधी की छाप उसमें जगह-जगह मौजूद है, क्योंकि वह गोस्वामी जी की मातृ-भाषा थी । भावार्थ अत्यंत सुगम और सुबोध रीति से दिए गए हैं । सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वियोगी हरि जी स्थान-स्थान पर और-और कवियों की मिलती जुलती उक्तियों का सन्निवेश पाठक में पूर्ण भाव जगा देता है ।"

विनय पत्रिका की टीका और सम्पादन गोस्वामी तुलसीदास की सात भूमिकाओं के अन्तर्गत किया गया है । ये हैं, दीनता, मान मर्षता, भयदर्शना, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य व विचारण ।

विनय पत्रिका वस्तुतः गोस्वामी जी ने अपना दुःख व आप-बीती सुनाने के लिए लिखी है । सामने न पहुंच सकने के कारण यह चिट्ठी दरबार में दूसरों से पेश कराई है । जब कलि के मारे गोसाईं जी की नाकों दम आ गया, तब उन्हें महाराज रामचन्द्र के दरबार में यह पत्रिका भेजनी पड़ी ।

विनय-पत्रिका की इस टीका का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि इसमें तमाम पदों में वर्णित देवताओं और ऋषि-मुनियों की कथाएं अलग-अलग से अन्त में दी गई हैं । यही नहीं पदों की सूची भी दी गई है । सम्पादक ने स्तुति खण्ड और विनय खण्ड भी अलग-अलग दिए हैं ।

यद्यपि विनय पत्रिका पर बैजनाथ कुरमी एवं पण्डित रामेश्वर भट्टजी की टीकाएं भी उपलब्ध हैं लेकिन वियोगी हरि जी ने विनय पत्रिका के सम्पादन एवं टीका भाष्य पर जो मेहनत की है, वह गोस्वामी तुलसीदास के प्रति सच्ची श्रद्धा का परिचायक है । □

—जगदीश कश्यप
डी-32, गली सिटी डाकघर,
गाजियाबाद-201001 (उ०प्र०)

दो पुस्तकें गाँधी स्मृति के दो रूप

1. मैं महात्मा नहीं हूं, 2. मेरा धर्म सेवा करना है । संपादक : विष्णु प्रभाकर, प्रकाशक : यशपाल जैन, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 112, मूल्य : 3 रुपये प्रति पुस्तक ।

गांधी विचारधारा अथवा चिन्तन हमेशा सच्चे अनुभव और वास्तविक कार्यक्रमों पर आधारित रहा है । वे कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जिसे वह स्वयं करने या उसका पालन न कर सकते हों । तभी तो उन्होंने कह दिया था कि "मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ।"

गांधीजी ने निर्धन, निहत्थे और निर्बल भारत की आजादी का संघर्ष उसी ढंग से चलाया जिससे यह हमारी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और अन्य स्थितियों के बीच रह कर ही संभव था । संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य से केवल मानसिक बल पर ही लोहा लिया जा सकता था गांधीजी ने स्वतन्त्रता संघर्ष को अपने चिंतन एवं चरित्र की प्रज्ज्वलित आहुति से ही सफलता की मंजिल तक पहुंचाया । उन्होंने देश की बड़ी-बड़ी गम्भीर और भयानक सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं पर सोच-विचार किया और हमारे लिए सदियों तक मार्ग दर्शन की सामग्री का प्रबन्ध किया ।

इन दो पुस्तकों से स्पष्ट होता है कि वे महात्मा होते हुए भी अपने आप को महात्मा स्वीकार नहीं करते थे । यह उनकी बड़ाई थी जो केवल सच्चे महात्माओं में ही होती है । उनका धर्म केवल सेवा करना था । इन सरल, सस्ती और सुसज्जित पुस्तकों को छाप कर प्रकाशक ने गांधी जीवन की प्रसिद्ध झांकियों को लोकप्रिय शैली में प्रस्तुत किया है । छोटी-छोटी घटनाएं, जरा-जरा सी बातें, अंत में एक महान चरित्र और सर्वप्रिय व्यक्तित्व को सम्पूर्णता तक लाने में क्यों कर सफल रहीं, इन सबकी गौरव गाथा इन पुस्तकों में सम्मिलित हैं और

वह भी हर स्तर के पाठक के लिए, चाहे वह बच्चा, युवक या बूढ़ा हो, चाहे वह थोड़ा पढ़ा-लिखा या बहुत पढ़ा-लिखा हो ।

दूसरे शब्दों में गांधी साहित्य प्रेमियों के लिए किसी उपहार रूपी भेंट से कम नहीं । □

रामप्रकाश 'राही'
बी-58, पंडारा रोड,
नई दिल्ली-110003

आधुनिक पशुपालन : लेखक—देवनारायण पाण्डे, प्रकाशक—विद्या प्रकाशन गृह, इलाहाबाद, मूल्य—8 रुपये : पृष्ठ संख्या—294 ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है । इस देश के 75 प्रतिशत निवासियों का जीवन खेती पर निर्भर है । खेती के आधुनिक यन्त्र व ट्रैक्टरों के होते हुए भी गरीब किसान आज भी खेती के लिए पशुओं पर निर्भर है । कृषि का आधार पशु पालन है ।

पशुओं की नस्ल और विकास, अधिक दूध देने से सम्बन्धित दृष्टिकोण, पशुओं के रोग और स्वास्थ्य पर विदेशों में जितने उन्नत तरीके अपनाए जाते हैं और पशुओं के संवर्धन के लिए जितने प्रकाशन हैं, वैसी स्थिति अपने देश में नहीं देखने को मिलती । कृषि क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की की । पशुओं की समस्या एवं पशुधन के उत्थान के लिए कृषि विद्यालयों के लिए अच्छे प्रकाशनों की हिन्दी में कमी महसूस की जा रही थी ।

"आधुनिक पशुपालन" इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकाशन है । पुस्तक का यह पांचवां संस्करण है । लेखक स्वयं पशु चिकित्सक एवं अध्यापक रहा है और यह पुस्तक उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं में माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में लगी है । लेखक को मौलिक पशुलेखन पर राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है ।

इस पुस्तक में पशुओं के जीवन वृत एवं देश की गाय, बैल आदि की तमाम किस्मों के चित्र दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, गऊ, भेड़, बकरी, कुक्कट पालन, पशुओं की नाड़ी-गति एवं डेयरी फार्म अभिलेख आदि पर सचित्र एवं सरल भाषा में लिखा गया है ।

हिन्दी में ऐसी पुस्तकों की अरसे से मांग की जाती रही है । पुस्तक का गेटअप प्रभावशाली है । प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं । □

कुलदीप जैन,

नीम चढ़ी गुरबेल : लेखक : श्रीराम मीना, प्रकाशक : मिलिन्द प्रकाशन, छिन्दवाड़ा, पृष्ठ संख्या : 56, मूल्य : 8 रुपये ।

"लघु कथा" आज की नई साहित्यक विधा है । इस प्रकार की कथाओं के कथाकार दावा करते आ रहे हैं कि पाठकों के पास समय की कमी है । अतः लघु कथाएं उन्हें अधिक प्रभावित करती हैं । स्पष्ट है कि इन लघु कथाओं में "प्रभाव" तथा "व्यंग्य" का तीखापन हुआ करता है । इस पिछले दशक में तो इस विधा में बाढ़ सी आ गई है । नगरों-कस्बों से निकलने वाले पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार की कथाएं भरी पड़ी रहती हैं । इनमें मनोरंजन की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है । वे तो एक प्रकार से हमारे अंतर को झकझोरती हैं, हमें कुछ सोचने-विचारने पर मजबूर करती हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की 52 लघु कथाएं संकलित की गई हैं । अब तक ये समसामयिक लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं । ये सभी कथाएं हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित हैं । दो-चार को छोड़कर शेष कथाएं उतनी प्रभावकारी नहीं हैं । ऐसा लगता है जैसे लेखक अपने संस्मरण भर सुना रहा हो । कोई लघु कथा आकार में छोटी होने से ही "लघु कथा" नहीं कहला सकती । उनमें तो सर्वाधिक रूप में प्रभाव गुण होना चाहिए इस संकलन में सामयिक जीवन की विसंगतियाँ और विडंबनाएं हैं । जहां तक परिवेश का प्रश्न है यह इनमें सही रूप से उजागर हुआ है । इनमें कल्पना की उड़ान है । सभी घटनाएं वास्तविकता के धरातल पर ही घटित हुई हैं ।

समझौता, विकल्प, नियोजन, गोपनीय आदि कुछ ऐसी लघु कथाएं हैं जो आज के चरित्र पर तीखा व्यंग करती हैं । आशा की जा सकती है कि लेखक भविष्य में इस विधा में और भी अधिक सफलता प्राप्त करेगा । □

शीतांशु भारद्वाज

मूर्ख बंजारा : डा० भगवती शरण मिश्र : प्रकाशक—राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली : मूल्य—4.50 रुपये पृष्ठ संख्या—56

लेखक ने बुद्ध भगवान की जातक कथाओं को आधार बनाकर उनके विभिन्न जन्म की कथाएं दी हैं जो शिक्षाप्रद और सुरुचिपूर्ण हैं । "मूर्ख बंजारा" प्रौढ़-शिक्षा पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तक है ।

56 पृष्ठों की इस पुस्तक में कुल 8 कथाएं हैं । यद्यपि ये सभी कथाएं बोधिसत्व के ज्ञान, बुद्धि और आदर्श को स्थापित करती हैं, साथ-साथ ही चमत्कार से पूर्ण भी हैं । लेकिन कुल मिलाकर ये सभी कथाएं प्रौढ़ों के लिए अच्छा चयन हैं ।

कुदाल पंडित कथा में बताया गया है कि जब तक व्यक्ति मन को नहीं जीत लेता वह निश्चय और अनिश्चय में पड़ा रहता है । मूर्ख बंजारा में बताया गया है कि बिना विचारे काम करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित है । हीरे मोती की वर्षा नामक कथा में बताया गया है कि व्यक्ति जब अपनी शक्तियों का उपयोग गलत व्यक्तियों के लिए करता है तो उसकी हालत उस गुरु की तरह होती है जिसने चोरों से छुटकारा पाने के लिए आकाश से हीरे-मोती बरसाए थे परन्तु फिर भी मार डाला गया । हाथी का गुरु तीतर में बताया गया है कि उम्र में बड़ा व्यक्ति आदर योग्य है चाहे शारीरिक रूप से कितना ही छोटा हो । इसकी अन्य कथाएं भी पठनीय हैं ।

पुस्तक का गेटअप सशक्त है प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं । साज-सज्जा से पुस्तक का कलेवर अच्छा बन पड़ा है । □

ममता जैन

केन्द्र के समाचार

कीट नियंत्रण के लिए सहायता

भारत सरकार ने कीटों और खरपतवार सहित फसलों को लगने वाली बीमारियों को समाप्त करने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्रीय आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 62.61 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे वर्ष 1981–82 के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा राज्यों के विशेष क्षेत्रों में होने वाली इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

यह सहायता चालू वित्त वर्ष में 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले से स्वीकृत की गई 180.30 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त है।

इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी :—

(I) विशेष क्षेत्रों में कीट और कृषि संबंधित बीमारियों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव तथा हवाई छिड़काव के लिए क्रमशः तीन रुपये और पांच रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान करना।

(II) कीटनाशक दवाइयों के मूल्य में 25 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता देना और विशेष कीटों के नियंत्रण के लिए राज्यों को तीन रुपये प्रति एकड़ और केन्द्र शासित प्रदेशों को छः रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता करना।

(III) राज्यों को खरपतवार नियंत्रण के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और केन्द्र शासित प्रदेशों को इसके नियंत्रण के लिए 25 प्रतिशत की दर से सहायता करना है।

मत्स्य पालन से विदेशी मुद्रा

भारत के कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात में मत्स्य पालन से काफी आशाएं हैं। लगभग 22 करोड़ हेक्टेयर के हमारे आर्थिक क्षेत्र के होने से—जो कुल भूभाग का दो तिहाई है—भारत के पास पर्याप्त मात्रा में समुद्रीय उत्पाद प्राप्त करने की क्षमता है। मौजूदा स्थिति में भी विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का आठवां तथा झींगा मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत ने 1980–81 के दौरान 234.8 करोड़ रुपये मूल्य की मछली का निर्यात किया तथा लगभग 25 लाख टन मछली का उत्पादन किया जिसमें से 16 लाख टन मछली समुद्र से तथा 9 लाख टन अन्तर्देशीय साधनों से प्राप्त हुई। यह उत्पादन हमारे देश की कुल उत्पादन क्षमता का केवल 30 प्रतिशत है।

राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि वे मत्स्य विकास निगमों तथा राज्य मत्स्य बोर्डों का गठन करें। राज्य सरकारों को मत्स्य सर्वेक्षण इकाइयों को सुदृढ़ करने के अलावा मत्स्य समन्वय समितियों के गठन पर भी विचार करना चाहिए। राज्यों को, उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की गई। कोचीन और विशाखापत्तनम् (प्रथम चरण) के मुख्य बन्दरगाहों पर मत्स्य पत्तनों को चालू कर दिया गया है। निवेशपूर्व सर्वेक्षण के लिए बंगलौर स्थित मत्स्य पत्तनों में लाभदायक-पत्तन स्थानों की खोज के लिये सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल का कार्य कर लिया है। कर्नाटक में तदरी, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णपत्तनम्, पश्चिम बंगाल में दीघा, तमिलनाडु में पाज़यार तथा महाराष्ट्र में सतपति के स्थान पर मत्स्य पत्तनों के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार हो गई हैं तथा गुजरात (शिवराजपुर) केरल (पुथिआप्पा) तथा तमिलनाडु (थोंदी) से संबंधित तीन और परियोजनाओं की रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

किसानों को अधिक ऋण सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की लगभग 15,000 शाखाएं हो गई हैं जबकि 1969 में यह संख्या 1832 थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर 20,000 की आबादी पर कम से कम एक बैंक शाखा उपलब्ध कराना रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का लक्ष्य है। कृषि, लघु उद्योग, छोटे सड़क परिवहन चालकों, स्वनियोजित व्यक्तियों जैसे वर्गों को, जिनमें कि छोटे ऋण कर्ता अधिक संख्या में आते हैं, बैंकों के ऋण प्रदान कार्यक्रमों में प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक ऋण की जो बकाया राशि 1969 में 505 करोड़ रुपये थी वह अब बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गई है।

बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कुल ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंश को बढ़ाकर मार्च, 1985 तक 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों का अंश कुल ऋण के 16 प्रतिशत के बराबर होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को मिलने वाले आवास और उपभोक्ता ऋण अब "प्राथमिकता क्षेत्र" में शामिल कर लिए हैं। बैंकों से कहा गया है कि अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में ऋण जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का प्रयास करें।

कृषि के लिए नार्वे की सहायता

नार्वे सरकार ने वर्ष 1981 के दौरान उर्वरक (यूरिया) और भारी मात्रा में आयात किए गए उर्वरकों को थैलों में बन्द करने के लिए चार मशीनों के रूप में भारत को 3 करोड़

63 लाख नार्वेजियन क्रोनर्स की सहायता दी है। यह राशि लगभग 5.81 करोड़ रुपये के बराबर है।

इस सहायता से सरकार वर्तमान रबी मौसम में कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा सकेगी और इससे भारतीय बन्दरगाहों में भारी मात्रा में उर्वरकों को ढोने की क्षमता में वृद्धि होगी।

वर्ष 1970 से 1980 के दौरान भारत ने उपहार के रूप में 28 करोड़ 72 लाख नार्वेजियन क्रोनर्स मूल्य के, जो कि 45.09 करोड़ रुपये के बराबर हैं, उर्वरक प्राप्त किए थे।

यह सहायता फरवरी, 1974 में हुए भारत और नार्वे सरकारों के बीच भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सहयोग से संबंधित समझौते के अनुरूप है।

पेय-जल के लिए केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए और अधिक धनराशि जारी की है। चालू वर्ष के लिए केन्द्रीय अनुदान सहायता की पहली किस्त, प० बंगाल (443.50 लाख रु०), त्रिपुरा (55.50 लाख रु०) उत्तर प्रदेश (500.50 लाख रु०), सिक्किम (19.50 लाख रु०), पंजाब (76.50 लाख रु०), नागालैंड (50 लाख रु०), मेघालय (74.50 लाख रु०), मणिपुर (52.50 लाख रु०), मध्य प्रदेश (312 लाख रु०), जम्मू और कश्मीर (130.56 लाख रु०), गुजरात (127 लाख रु०) और बिहार (482.50 लाख रु०) राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश (35 लाख रु०) एवं गोवा, दमन और दीव (5.75 लाख रु०) को जारी कर दी गई है। तमिलनाडु (4.50 लाख रु०), राजस्थान (108 लाख रु०), महाराष्ट्र (129.50 लाख रु०) तथा कर्नाटक (64.50 लाख रु०) को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।

वर्ष 1972-73 में शुरू किया गया त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, समस्यामूलक गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना के 100 करोड़ रुपयों के स्थान पर छठी पंचवर्षीय योजना में 600 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

हमारा पशुधन

गरीबी हटाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में और ग्रामीण इलाकों में कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक-रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देने में एक पूर्ण एकीकृत पशु धन उत्पादन कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में न केवल ग्रामीण बल्कि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में भी मवेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत में दुधारू और भारवाही पशुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। हालांकि हमारे देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है लेकिन प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता विश्व में सबसे कम है। इसका कारण हमारे मवेशियों की निम्न उत्पादकता है जो अतीत में उनके प्रति बरती गई लगातार उपेक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। उचित खुराक, बढ़िया प्रजनन और मवेशियों की अच्छी देखभाल के जरिए उनकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता काफी बढ़ाई जा सकती है।

अधिक भूमि की सिंचाई

चालू वित्त वर्ष के दौरान 26,70,000 हेक्टेयर अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इस उद्देश्य के लिए 1,832 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष सिंचाई पर 1,630 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और 24,40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई थी। 26,70,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की संभावित सिंचाई में सबसे अधिक भाग उत्तर प्रदेश का है। यहां 9.57 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में क्रमशः 3.13 लाख हेक्टेयर, 2.25 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 1.77 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

छठी योजना में सिंचाई के लिए 11,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। योजना अवधि के दौरान 1.37 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इनमें से 57 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई बड़ी और मध्य सिंचाई परियोजनाओं और 80 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत की जा सकेगी।

बूंद बूंद से घट भरे

अल्प बचत से राष्ट्र की समृद्धि

मास्को में 1981 में हुए तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय मेले में प्रकाशन विभाग के स्टाल का एक दृश्य । प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री. डी. एस. मेहता लिखने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं ।

जात-पांत और छुआछूत का जहर हमारे समाज को खोखला कर रहा है। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा ।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।

RN 708/57
P & T Regd. No. D(DN)98
Licensed Under U(D)-55 to
Post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

दर्जीगीरी का प्रशिक्षण लेती हुई बालिकाएं

प्याज के खेत में काम करते हुए